बिहार विधान-सभा (वादवृत्त)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में **सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989** को पूर्वाह्न 10.58 बजे अध्यक्ष, **श्री शिवनंदन पासवान** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना

दिनांक : 30 जनवरी 1989

विश्वनाथ त्रिवेदी
सचिव
बिहार विधान-सभा

असेंबली नहीं बुला सकते हैं । उतने ही समय पर असेंबली बुलाते हैं जितने समय की अनिवार्यता है । विधान सभा में जनता के सामने उपस्थित सवालों पर बोलने के लिए हमलोगों को कोई मौका नहीं मिलता है बहस चलाने के लिए । इसलिए लोगों की आस्था विधान सभा पर घट रही है इसलिए इस पर विचार होना चाहिए ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, लगभग सवा घंटा तक मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा है लेकिन 5 किलोमीटर प्रत्येक वर्ष जो विधायकों को सड़क बनाने के लिए राशि आवंटित होती थी उसका जिक्र इन्होंने बजट भाषण में नहीं किया है । गत वर्ष का भी पैसा आजतक नहीं गया । उसके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया इसलिए डपोरसंखी भाषण पढ़कर इन्होंने क्या किया ?

श्री भीष्म प्रसाद यादव : सड़क बन रही है, पैसा जा रहा है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री भोला सिंह, सदस्य, बिहार विधान-सभा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव उपस्थित करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है । मैं उनको पुकारने के पूर्व माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में कितना समय दिया जायेगा, इस संबंध में अपना निर्णय सुना देना चाहता हूँ–

पूर्वंग के आधार पर प्रस्तावक को 30 मिनट तथा समर्थक को 25 मिनट एवं संशोधन उपस्थित करने वाले सदस्यों को 20

मिनट तथा अन्य सदस्यों को अधिक से अधिक 10 मिनट का समय देने का निर्णय लिया गया है । इसमें आप सभी सदस्यों का सहयोग मैं चाहूँगा । माननीय सदस्य श्री भोला सिंह अपना प्रस्ताव उपस्थित करें ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आपने धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री भोला सिंह को पुकार लिया है लेकिन 5 किमी सड़क के लिए जो विधायकों को राशि दी जाती थी उसके बारे में मुख्यमंत्री जी बतायें कि उसे क्यों बंद कर दिया, इसके बारे में भी घोषणा होनी चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है अपने बजट भाषण में भी पेज 21 में मैंने पढ़ा है कि मैंने उतने पैसे का उपबंध किया है जो वायदे किए गए हैं आप सबों से । अलग अलग पत्र स्वयं मैंने आपलोगों को लिखा है । उसे अन्तर्गत इस साल में पैसे का प्रावधान किया गया है । रोड बनवाने का कार्य अभी प्रारंभ हो रहा है ।

श्री रघुनाथ झा : रोड बनाने के बारे में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए । इस साल बंद क्यों है ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता जो मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ । जो पहले की गयी प्रतिज्ञाएं हैं उनको पूरा कर दूं फिर अगले के लिए विचार करूँगा ।

श्री रामदेव सिंह : मुंगेर के लिए भी सड़क के लिए एक पैसा नहीं मिला है ।

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भोला सिंह अपना प्रस्ताव पुट कर दें। इस बीच में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन पेश करनेवाले माननीय सदस्य हैं उनका संशोधन पढ़वा दिया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भोला सिंह अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री भोला सिंह : जनाबे सदर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"सदस्यगण राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्ञ हैं।

जनाबे सदर,

तमाम जिस्म है बेजार,
जहन खाबीदा, दिमाग पिछले जमाने का,
इंतजार सा है
हुई ये कैसे वियांवा में आके शाम,
जो मजार यहां है मेरे मजार सा है,
कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले,
वो इन्कलाब जो आज भी उधार सा है।

सदर साहब, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो उन्होंने दिया है उस अभिभाषण में उसी मान्यता को जिस मान्यता के आधार पर देश के रहनुमायों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो मान्यतायें पिछले वर्षों से मिलती चली गयी उन्हीं मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने के लिये, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में, जो अभिभाषण मंत्रिमंडल का है, जो अभिभाषण मंत्रिमंडल का पोलिसी स्टेटमेंट है, जो अभिभाषण बहुमत दल के नेता का है,

जो अभिभाषण उस जनता की आस्था और विश्वास का है, उन मान्यताओं को पुनर्स्थापन करने के लिए उस अभिभाषण में है । आप जानते हैं आज संपूर्ण राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की याद में मौन रहता है क्योंकि एक हिंदू ने उन्हें गोलियों से मारा था, जिनकी याद में आज संपूर्ण देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है, वही सारी मान्यतायें पुनर्स्थापित की गयी हैं इसीलिए यह सदन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में साम्प्रदायिक और अलगाववादी संस्थाओं और शक्तियों को तोड़ने का राज्यपाल के अभिभाषण में है, राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों को वैज्ञानिक तकनीक दिलाने का दिशा निर्देश है, राज्यपाल के अभिभाषण में तनाव कम करने के लिये, शमन करने के लिये युवक जनशक्ति को पुनर्गठित करने का है और पुलिस बल को आधुनिक बनाने का प्रश्न है, मात्र प्रश्न उत्तरदायित्व का ही नहीं है बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रश्न हो गया है यह राज्यपाल के अभिभाषण में है जिसके लिए यह सदन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

अध्यक्ष महोदय, आज हम विशेष मौके पर इस सदन में उपस्थित हैं और इस सरकार को जिसका नेतृत्व बहुमत दल के नेता श्री भागवत झा आजाद को करने का अवसर प्राप्त है, इस सरकार की उपलब्धियों बेजोड़ हैं और आश्चर्यजनक हैं । बेजोड़ हैं कि हमारा राज्य हमेशा बाँध टूटने से, नदिया में बाढ़ आने से बांध टूटने से हमारी आर्थिक क्षति से कमर टूटती रही है, जब यह सरकार आज से एक वर्ष पूर्व से इस राज्य में है जो

बांध बनाये गये हैं, जो ब्रीज भरे गये उनमें से एक भी बांध टूटने नहीं पाया और बांध टूटने से जो क्षति होती थी वैसी एक भी क्षति नहीं हुई। यह राज्य सरकार का काम करने का फल है इसके लिए यह सदन राज्यपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है।

अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में बहुत वर्षों के बाद एक भयानक विपदा भूकंप हुआ, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूकंप से पीड़ित जनता की संवेदना का अनुभव करते हुए उनके दुख को दूर करने के लिए जो महान कार्य किया वह है मुख्यमंत्री के फंड से और प्रधानमंत्री के फंड से 20–20 हजार रुपये दिये गये थे और दूसरी वित्तीय संस्थाओं, हुडको आदि के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये प्रयास किया जा रहा है, यह राज्य कितने गरीबों के प्रति, पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है। और इनकी पीड़ा राज्य सरकार की पीड़ा है—यह अभिव्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण में है, जिसके लिये यह सदन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है।

अध्यक्ष महोदय, यह राज्य की सरकार, इस राज्य में एक दूसरी सरकार भी चला रही थी, वह सरकार हमारी सामाजिक विकास के रास्ते में सांप की तरह कुंडली बांध कर फन उठाये खड़ी थी, जो भी सरकार आती थी, उस सरकार को गर्त में गिराने का काम करती थी, जनता समझ बैठी थी कि कोई भी सरकार बिना उस सरकार के नहीं चल सकती है, लेकिन आपको मालूम हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, श्री भागवत झा आजाद जब मुख्यमंत्री होकर आये और हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के केंद्र में जो सांप की तरह कुंडली बांध कर

फन उठाये बैठे थे, इस मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस सर्प के फन पर कृष्ण की तरत नर्तन करना शुरु किया और इसके बाद बहुत सारे फन कुचल दिये हैं । आप इस तरह की बात बोलते हैं ? खाद के नाम पर हजारों बोरा में बालू भरे थे, बीज के नाम पर बालू भरे हुए थे, उस बालू को खाद के नाम पर बीज के नाम पर कीटनाशक दवाई के नाम पर बेचा जा रहा था, इस सरकार ने ऐसे-ऐसे अपराधी तत्वों को जिसने जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की चेष्टा की है, उसको कुचलने का प्रयास किया है, इसलिये राज्यपाल के अभिभाषण में—ईमानदार व्यक्ति पार्टी को नहीं देखता है, ईमानदार व्यक्ति नीति को देखता है, कार्यक्रम को देखता है, इसलिये आप देखिये पार्टी, ईमानदार व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए खतरनाक और ऑपोजिशन के लिये भी खतरनाक है इस समाज में, इसलिये अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन तथ्यों की चर्चा हुई है, इसके लिये सदन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है ।

सदन को खुशी होगी, इस सदन में, जिस सदन में माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा ने पिछले वर्ष में गेहूं की बाली लेकर आये थे और उन्होंने उसे दिखलाते हुए कहा था कि गेहूं जन्मते ही फूटने लगे, बच्चा देना शुरु कर दिया—उन्होंने दिखलाना शुरू किया—खाद के नाम पर बालू, खाद के नाम पर चूना, खाद के नाम पर नमक की बात कही गई, लेकिन इस बार जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शुरु हुआ तो उन्होंने गेहूं की बाली लेकर इस सदन में प्रदर्शन नहीं किया, खाद की शिकायत नहीं की, किसी ने सर्टिफायड बीज की शिकायत नहीं की, ट्रांसफारमर

जले हुए हैं, बिजली, पानी नहीं मिलता है—इसकी शिकायत किसी ने नहीं की—यह इस सरकार की उपलब्धि है और आज इस सदन को इस बात का फक्र है कि आज पूरे राज्य में धान की अच्छी फसल हुई है और प्रत्येक किसान के घर खाद के बोरे, बीज के बोरे, कीट-नाशक दवाई उपलब्ध कराई गई और पूरा माहौल खेती के क्षेत्र में आज जानदार उपस्थित है । यही कारण है कि आज इस राज्य सरकार के इस मेहनत के बल पर 130 लाख मैट्रिक टन अनाज का उत्पादन संभव हो सका है और इसी विकास और इसी उपलब्धि के बल पर राज्य सरकार ने 140 लाख मैट्रिक टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ये सभी कार्य विकास के अनुरुप हैं । जिसके लिये राज्यपाल ने इस सदन में उसे उपस्थापित किया, उसके लिये सदन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है ।

अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार इस राज्य में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा सवाल है, जिनका संबंध ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है । समाज में 80 प्रतिशत लोगों के पास बीस प्रतिशत जमीन है और बीस प्रतिशत लोगों के पास 80 प्रतिशत जमीन है। ये जमीन के टीले हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के रास्ते में बाधक बने हुए हैं । ये जमीन के टीले ही बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था को गड़बड़ाने, ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, ये जमीन के टीले जमीन में उत्पादन में लगे लोगों को अवरुद्ध कर रहे हैं । ये जमीन के टीले ही समाज के उत्थान में व्यवधान खड़ा करते हैं । इस राज्य के मुख्यमंत्री को गौरव प्राप्त है, गौरव प्राप्त यह है कि तीन महीने के अंदर इस

राज्य सरकार ने एक लाख पचास हजार एकड़ जमीन का बंटवारा किया है ।

श्री रघुनाथ झा : केवल कागज पर बंटवारा किया गया है।

श्री भोला सिंह : आप खड़ा होकर बोलें । हमलोग तो कह सकते हैं कि कागज पर नहीं । आपकी आलोचना हुआ करती थी कि कागज पर जमीन का बंटवारा हुआ है, लेकिन इस बार कागज पर नहीं, जमीन पर और रसीद में जमीन का बंटवारा हुआ है और राज्य सरकार ने उनको जमीन पहचनवा दिया है कि यही जमीन तुम्हारी है । इस बार जमीन पर बंटवारा हुआ है ।

श्री रघुनाथ था : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 27 हजार व्यक्तियों को पश्चिमी चंपारण जिले में वासगीत का पर्चा दिया गया परंतु 27 हजार में से 27 आदमी को भी जमीन का दखल-कब्जा नहीं दिया गया और बहुगुणा जैसे व्यक्ति को वहां जाकर पीपुल्स कॉज के लिये धरना देना पड़ा और सत्याग्रह करना पड़ा । 27 हजार लोगों में से कितने व्यक्तियों को आपने दखल-दहानी दी ?

अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े पैमाने पर जब यह अभियान चलाया गया है तो बहुत संभव है कुछ त्रुटियां कार्यान्वयन के सिलसिले में, अभियान के सिलसिले में, संभव है जो मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं । लेकिन राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जमीन के टीले को, कलश को तोड़ कर गरीब के पत्तल को भरने के लिये जो राज्य सरकार का

संकल्प है उसे राज्य सरकार ने पूरा करने का अभियान चलाया है । इनके लिये सदन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है ।

अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था का सवाल । यह सदन इस बात से वाकिफ है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था हमेशा, किसी भी प्रशासन के लिये समस्या रही है ।

अध्यक्ष : यदि सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटा बढ़ा कर 4.00 से 5.00 बजे अपराह्न कर दिया जाए ।

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कानून एवं व्यवस्था का सवाल हमेशा इस राज्य सरकार के लिये प्रश्न बना हुआ था । स्व. कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी सामूहिक हत्याएं हुईं, जब भी बिन्देश्वरी दुबेजी आये उनके जमाने में भी सामूहिक हत्याएं हुईं, जब स्व. कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनके जमाने भी 68 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। दूसरे मुख्यमंत्रियों के जमाने में भी यह घटनाएं होती रही हैं आज दुनिया में, चाहे वह समाजवादी मुल्क हो या पूंजीवादी मुल्क हो, सोवियत यूनियन में भी जहां समाजवाद उपस्थापित है, उस समाज में भी बलात्कार की घटनाएं घटती रहती हैं, उस समाज में भी कानून व्यवस्था का प्रश्न बना हुआ है जबकि उन्होंने वर्ग को समाप्त कर दिया है, वर्गहीन समाज की स्थापना कर दी है । लेकिन अभी भी मनुष्य के अंदर जो जानवर है, पशु है वह निर्मूल नहीं हुआ है और

उसी पशु को ठीक करने के लिये, निर्मूल करने के लिये, यह सारा बंधन है, यह सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको पूर्ण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि समाज के विकास के साथ व्यवस्थाओं का विकास नहीं हुआ है, समाज के विकास के साथ व्यवस्था का पुनर्गठन नहीं हुआ है, समाज के कम्प्लेक्सिटीज के साथ व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ है । इसी सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने इस राज्य के मुख्यमंत्री पर घृणित हमला किया, उनके चरित्र पर, उनकी नीयत पर तेज हमला किया । पापरी बोस की चर्चा हुई । आज भी पापरी बोस कलकत्ता में अपने पति के साथ सुहागरात और हनीमून मना रही है । आज भी पापरी बोस जिसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, वह अपने पति के साथ सुहाग का सिंदूर लगाये हुए सुहागरात मना रही है और यहां माननीय सदस्य अपना पाजामा और अंडरवीयर खोल रहे हैं । अगर अंडरवीयर और पाजामा खोलना है तो कलकत्ता में खोलें, जहां तुम्हारी गवर्नमेंट है । इस तरह से एक साधारण घटना को लेकर मुख्यमंत्रीजी के ऊपर....

(शोरगुल)

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कुछ नहीं कहा । मैंने कहा सुहागरात वहाँ मन रही है और अजीत सरकार पैंट और पाजामा यहाँ खोल रहे हैं । सुहागरात वहां, हनीमून वहां और पैंट और पाजामा यहाँ ? खोलना है तो वहां खोलो जहां खोलने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पर इस तरह से इस सदन में हमले हुए और यहां तक कि जो हमारे राज्य का गौरव रहाय है, क्रिकेट के मैदान में, खेल के मैदान में जिसने इस राज्य

का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वाभिमान बढ़ाया है, सर को ऊँचा किया है, आपने उसे भी नहीं छोड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय जी, श्री कीर्ति आजाद क्रिकेट के मैदान के खिलाड़ी हैं, यहां उस नौजवान के लिये जिसने इस राज्य के लिये कीर्ति बटोरी है, उस नौजवान के लिये यह सदन उपयुक्त जगह है। अगर वह इसमें इन्वाल्व था, अगर मुख्यमंत्री का संबंध था तो पापरी बोस ने जो केस किया उस केस में कीर्ति आजाद को मुद्दालय क्यों नहीं बनाया गया ?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के अभिभावक हैं । आप जानते हैं, यह सदन, यह स्थान चरित्र हत्या का नहीं है, यह स्थान दूसरे की चारित्रिक हत्या का नहीं है, समाज में गिराने के लिए नहीं है । आप इस स्थान पर आकर राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले हैं । इसलिए इस तरह की बात भविष्य में न करें ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में तमाम तथ्यों को, कानून व्यवस्था के संबंध में कहा है, इसमें सुधार हुए हैं । आज फैक्टरी में धुआं दिखाई दे रहा है, स्कूल–कॉलेज चल रहे हैं । इस राज्य में जब से हमारे मुख्यमंत्री जी हुए हैं, तब से इस राज्य में कर्फ्यू कभी नहीं लगा, विरोधी दल का एक नेता गिरफ्तार नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को गौरव प्राप्त है । आप जायनते हैं, इस सदन के विरोधी दल के नेता की समाप्ति हुई, आप यह भी जानते हैं जो इस सदन के नेता है, उसको समाप्त किया गया। आप जानते हैं कि इस सदन में जो सचिव का

स्थान था, वह समाप्त हुआ, सदन में जो माननीय सदस्य हैं, उनको ब्रीच ऑफ प्रिभीलेज में लाया गया । आप जानते हैं, सदन बनता है पत्रकारों से, वह भी एक चैंबर है और उसके ऊपर भी ब्रीच ऑफ प्रिभीलेज लाया गया । पूरा सदन मरणासन्न हो गया, सदन नेता नहीं, विरोधी दल का नेता नहीं । तो ये सारी स्थिति हो गयी लेकिन इस राज्य सरकार को गौरव प्राप्त है, इस राज्य सरकार ने न्यायपालिका को, आपके माध्यम से बचाया । आप ने इस न्याय की तराजू पर बैठकर सदन नेता की मान्यता दी, विरोधी दल के नेता की मान्यता देने जा रहे हैं और इस सदन की गरिमा को, इसके सार्वभौम सत्ता को, यह सदन जो राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी है, बचाया है । सदन में हमारे दल का बहुमत है, आज तक हमारे दल के किसी माननीय सदस्य ने आपको नहीं कहा कि हम कांग्रेस में नहीं हैं । हमारा दल एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है । इसको गौरव प्राप्त है इस देश को आजाद कराने है, इसको गौरव प्राप्त है इस देश की आजादी की हिफाजत करने का, इसको गौरव प्राप्त है शहादत देकर देश की अखंडता की रक्षा करने का । जब हमारे घर में कुछ जिंदगी प्रवाह करने लगती है, हमारे घर में जिंदगी दौड़ने लगती है, जब हमारा जीवन प्रगट होने लगता है तो आप मचलने लगते हैं । आप भूल जाइये, एक बार दो आदमी लड़ रहा था, दर्शकों ने देखा कि एक आदमी दूसरे का गर्दन तोड़ रहा है, दर्शकों में से एक ने कहा ये दोनों आपस में मिले-जुले हुए हैं, गर्दन नहीं तोड़ रहा है, अभिनव कर रहा है । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दल को गौरव प्राप्त है, इसको बहुमत प्राप्त है, इसको राजनीतिक गौरव प्राप्त है और आपलोग इस सदन में

खड़े होकर जैसे-तैसे कहने लगते हैं । जैसे-तैसे कहने की चीज है? नियम नहीं जानते, प्रक्रिया नहीं जानते रमेन्द्र बाबू ?

श्री भोला सिंह : कांग्रेस में बहुमत है और कांग्रेस में बहुमत हा नहीं बहुमत के साथ बिहार की जनता का बहुमत है । रमेन्द्र कुमार जो, आप इस देश के एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है, उनके नेता हैं, किसी के माउथ-पीस मत बनिये । आप अपने गरिमा को बनाकर रखिये । यह सदन है । अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने इस राज्य में इस गौरव को स्थापित किया और पूरा दल, पूरी पार्टी राजीव जी के साथ है और हमारे दल में एक नेता राजीव जी हैं, आपकी तरह अ, ब, स और ड नहीं हैं । हमारे दल में उनका निर्णय सर्वोपरि है, उनका निर्णय जो होगा उसको हमारा दल मानेगा । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं इस सदन को कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में अलगाववादी तत्वों को, विघटनकारी तत्वों को और कोयला माफिया को धाराशायी कर दिया गया है । कोआपरेटिव माफिया को घायल कर दिया गया है, अभी वह विष ढार रहा है, वह भी समाप्त हो जायेगा। इस राज्य की जनता कांग्रेस की गरिमा के साथ, कांग्रेस की उपलब्धियों के साथ, देश की अखंडता के साथ और देश की मुख्यधारा के साथ इस राज्य की जनता है, कांग्रेस दल है और उसका बहुमत है । यह बहुमत राज्य के विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है । जिस तरह से बिहार को सार्वभौम सत्ता अपने कार्य को मुखरित किया है, जनता के काम को जमीन पर उतारा है, अलगाववादी और विघटनकारी तत्वों को समाप्त किया है और जनता के काम को जमीन पर उतारने का काम किया है और

सामंतशाहियों को समाप्त कर जनता के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया है वह क्रांतिदूत है, वह क्रांति के प्रतीक है, वह क्रांति का बेटा है और क्रांति संस्कृति का जनक है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री जय कुमार पालित : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री भोला सिंह के द्वारा राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को इस बात के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ष 1989-90.........

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जरा बैठ जायें ।

कतिपय माननीय सदस्यों ने, तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवचंद्र झा के द्वारा दिनांक 11.8.1987 को जो आदेश दिया गया जिसके द्वारा माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर को बिहार विधान सभा के नेता, विरोधी दल के रूप में मान्यता समाप्त की गयी जिसे 12 अगस्त 1987 के विवरणिका में प्रकाशित की गयी, से संबंधित एवं नियम के आलोक में पुनर्विचार के लिए आग्रह किया है । यह उल्लेखनीय है कि स्व. कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने कई पत्रों के माध्यम से तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवचन्द्र झा से उनके द्वारा दिये गये नियमन पर पुनर्विचार हेतु आग्रह किया था ।

उपर्युक्त विषय पर निर्णय लेने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों को उद्धृत करना आवश्यक है । 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1985 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया जो दिनोंक 1.3.1985 को प्रभावी हुआ ।

उक्त संविधान संशोधन के पश्चात् नवम् बिहार विधान सभा का गठन हुआ । उसके अनुसार निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सभा अध्यक्ष के आदेश से निर्वाची सदस्यों की दलगत सूची (रजिस्टर) मार्च 1985 में प्रकाशित की गयी, जिसके अनुसार लोकदल के सदस्यों की संख्या 46 है । उसके पश्चात् समय-समय पर अध्यक्ष के आदेश से दलगत सूची प्रकाशित की गयी । सभा अध्यक्ष द्वारा विवादास्पद निर्णय के पूर्व अंतिम दलगत सूची जुलाई 1987 में प्रकाशित हुआ जिसमें लोक दल के सदस्यों की संख्या 46 बतायी गयी है । लोक सभा द्वारा प्रकाशित "दी जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इन्फोरमेशन" में भी लोकदल के सदस्यों की संख्या 46 ही बतायी गयी है । बिहार विधान सभा में लोकदल विधायक दल के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 46 थी जो कि निर्वाचन आयोग के प्रकाशन में भी अंकित है । किशनपुर उप-चुनाव के बाद उक्त दल के सदस्यों की संख्या 47 हो गयी । परंतु कोंच उप-चुनाव के हार जाने के फलस्वरूप उक्त दल के सदस्यों की संख्या पुनः 46 रह गयी ।

सभा अध्यक्ष ने सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित विवरणिका संख्या 1699 दिनांक 12.8.1987 में श्री कर्पूरी ठाकुर को विरोधी दल के नेता पद से हटाये जाने के निम्नलिखित 3 कारण बताये हैं—,

(1) लोकदल ने बिहार विधान सभा में विधायक दल के रूप में अपनी मान्यता के लिए संवैधानिक कार्रवाई नहीं की है और न उसे औपचारिक रूप से दल के रूप में मान्यता ही मिली है,

(2) मात्र 19 विधायक ही इस दल में हैं जो अपने को लोकदल विधायक दल के रूप में घोषित करते हैं,

(3) दल के नेता ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया है ।

माननीय कर्पूरी ठाकुर ने सभा अध्यक्ष से उन कागजातों की लिखित रूप से माँग की कि उन सारे कागजातों को उपलब्ध करावें जिसके आधार पर उन्होंने (सभा-अध्यक्ष ने) उक्त निर्णय लिया है । उनके मृत्यु-पर्यन्त उन सभी अभिलेखों की जिसके आधार पर तत्कालीन सभा अध्यक्ष ने उपर्युक्त विवादास्पद निर्णय लिया था, उपलब्ध नहीं कराया गया । मात्र तत्कालीन विधान सभा सचिव ने अपने पत्रांक 1793 दिनांक 21.8.1987 द्वारा श्री ठाकुर को सूचित किया कि उनका पत्र अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में संबंधित संचिका के साथ भेज दिया गया है, अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरांत तत्काल उन्हें सूचित किया जाएगा ।

सभा सचिवालय में उपलब्ध अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पश्चात् मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ—

(क) तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा श्री कर्पूरी ठाकुर के संबंध में नियमन देने के पूर्व भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन का पालन नहीं किया गया है । यह उल्लेखनीय है कि संविधान के संशोधन के संबंध में निर्णय लेते समय विधायिका के पीठासीन पदाधिकारी का स्वरूप एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकार के रूप में हो जाता है और वैसी स्थिति में न्यायपालिका द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करना पीठासीन पदाधिकारी के लिए

अनिवार्य है । उपलब्ध अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि जिन पत्रों पर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा नियमन दिया गया वे तथाकथित आवेदन पत्र संविधान के 52वें संशोधन एवं उनके अंतर्गत बने नियमों के अनुरूप नहीं था क्योंकि नियम 6 के अनुसार यह स्पष्ट है कि कोई भी आवेदन पत्र जो सदस्य द्वारा अध्यक्ष को दिया जाएगा उसके तथ्य का सत्यापन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधिसूचित रीति से किया जाएगा । ऐसा न करने पर नियम 7 के मुताबिक वैसे आवेदन पत्रों को अध्यक्ष रद्द कर देगा । उपर्युक्त बातों से यह भी स्पष्ट है कि तथाकथित पत्र अनुकूल नहीं था ।

(ख) उक्त नियमन देने के पूर्व श्री कर्पूरी ठाकुर को कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया जिसके द्वारा वे अपने पक्ष को रख सकें और इस तरह तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया गया उक्त नियमन नैसर्गिक न्याय का हनन है, साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत पर निहित है ।

(ग) उक्त नियमन तथ्य से भी परे है क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने दिनांक 4-4-1985 से श्री कर्पूरी ठाकुर को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यताय प्रदान की एवं बाद में इसकी घोषणा सभा अध्यक्ष द्वारा सदन में भी की गयी । उक्त आधार पर संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना से सचिवालय के पत्रांक 503 दिनांक 4-4-1985 के अनुसार महालेखाकार, बिहार, पटना को अपने पत्रांक 264 दिनांक 19-4-1985 द्वारा यह लिखा कि बिहार विधान-सभा में विपक्ष के सभी दलों की संख्या से श्री कर्पूरी ठाकुर, सदस्य विधान सभा के नेतृत्व वाले

दल की संख्या 46 है जो गणपूर्ति के निर्धारित संख्या से अधिक है। 5-4-1985 एवं 11-8-1987 के बीच में ऐसे कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि दलगत सूची में कोई परिवर्तन हुआ। ऐसी परिस्थिति में विवरणिका संख्या 1699 दिनांक 12-8-1987 में यह उल्लेख करना कि मात्र 19 विधायक ही लोकदल के विधायक के रूप में घोषित हैं, तथ्यहीन, आधारहीन एवं भ्रामक है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 11-8-1987 को श्री कर्पूरी ठाकुर को नेता, विरोधी दल से समाप्ति एवं विवरणिका 1699 दिनांक 12 अगस्त 1987 तथ्यों से परे था एवं विधिसम्मत नहीं था। अतः तत्कालीन अध्यक्ष के उक्त निर्णय को मैं अपने एतद् निर्णय द्वारा रद्द घोषित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर अपने मृत्युपर्यन्त अर्थात 17-3-1988 के प्रातःकाल तक बिहार विधान-सभा में विरोधी दल के नेता पद पर बने रहे थे।

(लोक दल के सदस्यों ने नारा लगाया, कर्पूरी ठाकुर अमर रहें)

माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व असाधारण था। लोकतंत्र में उनकी अटूट आस्था थी। 1952 से वे लगातार बिहार विधान-सभा के सदस्य थे। इस अवधि में से एक बार उप-मुख्य मंत्री तथा दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तत्कालीन अध्यक्ष के विवादास्पद निर्णय से उन्हें गहरा सदमा पहुँचा था।

अतः मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के 52वें संशोधन (10वीं अनुसूची) के संबंध में विधायिका के पीठासीन पदाधिकारियों के अधिकार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगने की कृपा करें क्योंकि यह एक अति लोक महत्व का विषय है जिसको लेकर कई विधायिकाओं के सामने समस्या उत्पन्न हुई है और भविष्य में भी उपस्थित हो सकती है ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, भर्त्सना वाला नियमन को भी रद्द कर दीजिये ।

श्री जयकुमार पालित : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री भोला सिंह के द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूँ कि जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है, वह वर्तमान सरकार की नीतियों का, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों का रिफलेक्शन है, प्रतिबिंब है । अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया उसमें वर्तमान सरकार की उपलब्धियों की चर्चा है । मैं उसके संबंध में सदन के सामने कुछ निवेदन करना चाहूँगा । अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1989-90 के लिये जो वार्षिक योजना के मद में 1800 करोड़ रूपये की जो राशि योजना आयोग द्वारा मिली है, स्वीकृत हुई है वह अपने आप में वर्तमान सरकार के लिये सबसे बड़ी उपलब्धि है । अध्यक्ष महोदय, आपको याद

होगा आज से चार वर्ष पूर्व हमलोगों ने देखा था कि वार्षिक उद्व्यय सिर्फ 800 करोड़ इस राज्य को प्राप्त हुआ था । चार वर्षों के अंदर विशेष कर जिस वर्ष की चर्चा कर रहा हूँ योजना मद के अंदर जो एनुअल एक्सपेंटिचर की स्वीकृति मिली है वह 1600 करोड़ रूपये की मिली है । 1988-89 में जहां यह 1500 करोड़ का था वह बढ़कर 1800 करोड़ हो गया है जिसमें 100 करोड़ रुपया तेनुघाट विद्युत ताप परियोजना पर खर्च किया जायगा जिससे विकास का लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले इसका जिक्र किया कि सारी योजनाओं का कार्यान्वयन और इसका लाभ सुदूरवर्ती गांवों तक चाहे विद्युत् आपूर्ति के माध्यम से, चाहे सड़कों के निर्माण के माध्यम से, चाहे विद्यालय भवन निर्माण के माध्यम से पहुँचे । यह सब हमारी वार्षिक योजना के आकार पर निर्भर करता है । उसके अलावे 100 करोड़ रूपया तेनुघाट विद्युत ताप परियोजना पर खर्च किया जायगा । हमारी वार्षिक योजना का आकार निश्चित रूप से देखें 200 करोड़ रूपया बढ़ाया गया है । यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो योजना आयोग के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है ।

अब मैं दूसरी बात भूमि सुधार के संबंध में कहना चाहता हूँ । माननीय सदस्य, श्री भोला सिंह ने भूमि सुधार के संबंध में कहा है । उसमें मैं भी एक बात और ऐड करना चाहूँगा जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद ने इस बात की घोषणा की थी कि 88-89 तक एक लाख एकड़ जमीन भूमिहीन, हरिजनों के बीच, भूमिहीन पिछड़े वर्गों के बीच वितरण करेंगे और मुझे इस

बात का फक्र है कि मुख्यमंत्री, श्री भागवत झा आजाद के नेतृत्व में आज की तिथि के पूर्व तक, आज तक एक लाख एकड़ से अधिक भूमि वितरण कर चुकी है और साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि सिर्फ कागज पर ही यह वितरण न हो। मुख्यमंत्री सरकार का अगुआ होने के नाते इन्होंने जहाँ भी भूमि का वितरण किया उसके पहले उन्होंने वहां के कलक्टर से एस्योर कर लिया कि उसका पोजेशन मिला कि नहीं। मुझे खुशी है कि जो भूमिहीन, हरिजन एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बीच जो एक लाख एकड़ भूमि का वितरण किया गया उन सभी पर उनका दखल कब्जा हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। रूलर डेवलपमेंट हमारे देश, हमारे राज्य के लिए सबसे बड़ा विकास माना जाता है। जबतक गांव का विकास नहीं होगा तबतक किसी भी राज्य का सही विकास नहीं होगा। ग्रामीण विकास के मद में वर्ष 1988–89 की उपलब्धियों के चंद शब्दों की चर्चा करना चाहूँगा। जिस वर्ष में हमलोग चल रहे हैं उसमें एम.एल.एज. और एम.पी. के क्षेत्र की छोटी छोटी योजनाएं जो दो लाख रूपये की अनुशंसा पर की जाती है उस में हमलोगों ने बिहार विधान सभा के सदस्यों ने और सांसदों ने 1288 योजनाओं की अनुशंसा किया और उसमें 542 योजनाएं आज तक कार्यान्वित की जा चुकी हैं और आनेवाले दो महीनों में जब हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होता है उस अवधि में निश्चित रूप से 1288 योजनाएं जो उस राशि के अंदर कभर होती हैं, उसका कार्यान्वयन हो जायेगा। इस बात का द्योतक है कि जहां एक लाख पर योजना की स्वीकृति दी गई थी उसे बढ़ा कर दो

लाख हुई और 3 लाख की बात चल रही है । सदन की भावना को देखते हुए मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि इस मद में अपने आनेवाले दिनों में घोषणा के माध्यम से या स्वीकृत कराकर इस राशि को बढ़ायेंगे जिससे विधायकों को, सांसदों को छोटी-छोटी कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने का लाभ मिलता है; लोगों की सेवा करने का सुअवसर मिलता है । इस मद की राशि बढ़ाने की कोशिश करें और अभी तक इसमें जो व्यय हुए हैं उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ । वर्ष 1988-89 में 524 योजनाएं पूरी होने की बात रखी गई जिसमें 97.75 करोड़ यानी एक सौ करोड़ रूपया का व्यय इन छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से जिन निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो कर आते हैं जहाँ की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व हम करते हैं वहां पर खर्च की गई है ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री भोला सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।)

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के सिलसिले में मैं आपरेशन सिद्धार्थ की चर्चा कर देना चाहूँगा । केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने, विशेष रूप से आपरेशन सिद्धार्थ कार्यक्रम बिहार के लिए दिया है । आपरेशन सिद्धार्थ का मूल उद्देश्य है ग्रामीण नियोजन का बेहतर कार्यक्रम । यह कार्यक्रम मूल रूप में ऐसे क्षेत्रों में जहां उग्रवाद की समस्या है, नक्सलपंथियों की समस्या है, किसान-मजदूरों की समस्या है, भूमि-सुधार की समस्या है, वहां आपरेशन सिद्धार्थ को लागू कराया जा रहा है । सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि गया जिले में 11 प्रखण्ड, जहानाबाद जिले में 7 प्रखण्ड और

औरंगाबाद जिले के सात प्रखण्ड में इस प्रकार के आपरेशन सिद्धार्थ के तहत कार्यक्रम लिये गये हैं । दूसरे जिलों और प्रखंडों में निकट भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम लाने का प्रावधान है और पूरी आशा है कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में आपरेशन सिद्धार्थ के तहत जो केंद्रीय गाईडलाईन के तहत आता है उन सारे प्रखंडों में उनका कार्यान्वयन होगा और साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर नियोजन की सुविधा दी जायगी ।

अब मैं ग्रामीण न्यूनतम आवश्यकता गारंटी कार्यक्रम की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । 15 सौ से अधिक आबादी वाले गांव में 350 किमी पक्की सड़क और एक हजार से 15 सौ जहां की आबादी है वहां 150 किमी पक्की सड़क बनाकर यातायात की सुविधा को पूरा किया गया है ।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्श्म से शिक्षा की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा राज्यपाल को जिन्होंने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है । मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने समूचे राज्य में शिक्षा का बेहतर माहौल बनाया है । मुख्यमंत्री, श्री भागवत झा आजाद ने जिस समय बिहार का बागडोर संभाला था उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय से लेकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के कैलेन्डर को इन्फोर्स करेंगे । हम देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में उसके बाद उच्च विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों में समय पर पढ़ाई हो और अच्छे ढंग से शिक्षा और पठन-पाठन की व्यवस्था हो । पिछले एक वर्ष में 88-89 वर्ष में काफी सुधार हुआ है और आप देखेंगे कि सभी परीक्षाएं लगभग सभी विश्वविद्यालयों में समय पर हुई । जैसा कि कहा

गया है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति में काफी गड़बड़ियां हुई । इसको भी सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने काफी प्रयास किया । कतिपय ऐसे कारण हुए व्यक्ति विशेष ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर कुछ बातें ऐसी की जिसके चलते यह व्यवधान हुआ । जिसको हम सभी जानते हैं जिसके विस्तार में मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ । हमारी सरकार इस बात के लिये कृत संकल्प है कि सभी परीक्षाएं समय पर हो, शिक्षा की स्थिति में बेहतर स्थिति आये । आपने देखा कि वर्ष 1984 में बिहार इन्टरमीडिएट कौंसिल को भंग किया गया । इसलिए कि इन्टरमीडियट की शिक्षा अच्छी ढंग से नहीं हो रही थी और समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही थी । जो उस समय के तत्कालीन चेयरमैन और वाईसचेयरमैन थे इन्टायर कौंसिल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था । श्री चंद्रशेखर सिंह जब मुख्यमंत्री थे । उन्होंने इन्टरमीडियट कौंसिल को भंग किया जिसके बाद बिन्देश्वरी दूबे जी ने इसका गठन करने की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन किसी सरकार ने इसका गठन नहीं किया ।

इन्टरमीडियट शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत इन्टरमीडियट शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व होता है ।

प्लस-2 में इसका बहुत बड़ा महत्व है । तो इंटरमीडियट काउंसिल का गठन किया गया है । इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ । राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ । आपने देखा कि बिहार स्टेट कंस्टिचुएंट सर्विस कमीशन पिछले दिनों डिफेक्ट था जिसके चलते प्रिंसपल की नियुक्ति में बढ़ी धांधली हुई थी, जिसकी चर्चा सदन में हुई थी । श्री भागवत झा आजाद की सरकार ने महसूस किया कि इसका पुनर्गठन

किया जाय और आपने देखा कि पंद्रह दिन पूर्व बिहार स्टेट कंस्टिच्युएंट सर्विस कमीशन का पुनर्गठन किया गया । बिहार में बहुत सारे लड़के, जो एम.ए. करके, पी.एच.डी. करके नौकरियों के लिये मारे फिरते थे जबकि हजारों-हजार रिक्तियां डिफरेंट कंस्टिच्युएंट कॉलेजों में थीं किंतु नियुक्तियां नहीं होती थी चूंकि बिहार स्टेट कंस्टिच्युएंट सर्विस कमीशन डिफेक्ट थी अतः हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका पुनर्गठन किया और बहुत सारे लोग जो शिक्षकों की नियुक्तियों के लिये इधर-उधर मारे मारे फिर रहे थे उनको अब मौका मिलेगा । इसी तरह से 89-90 वर्ष में प्राथमिक शिक्षक, जो नयी शिक्षा नीति की रीढ़ हैं, के लिये 28 हजार 55 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर सारे जगहों में अपने हाथ से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की है । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । अब मैं नवोदय विद्यालयों के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का क्या दृष्टिकोण है और केंद्रीय सरकार की क्या योजना है । केंद्रीय सरकार से हमारे राज्य को 23 यूनिट मिला था और अभी तक 23 नवोदय विद्यालय इस राज्य में खुल चुके हैं ।

श्री रघुनाथ झा : आठ करोड़ की जनसंख्या पर 23 नवोदय विद्यालय खोले गये हैं यही आपकी उपलब्धि है ?

श्री जयकुमार पालित : मैं माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा का आभारी हूँ.....

अध्यक्ष : शांति, माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा ने आसन की अनुमति से कुछ नहीं कहा है इसलिये इसका कोई महत्व नहीं है ।

श्री जयकुमार पालित : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा ने ठीक कहा है कि बिहार राज्य की जनसंख्या को देखते हुए 23 नवोदय विद्यालय से काम नहीं चल सकता है । तो मैं कहना चाहता हूँ कि 16 और नवोदय विद्यालय खोलने के लिये राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा और भविष्य में और भी नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्र के पास भेजा जायेगा ।

सभापति महोदय, मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ऊर्जा की बात कही है । हमारे स्टेट में इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन के लिये, ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये ऊर्जा सबसे महत्त्वपूर्ण है । यह बात सही है कि पिछले वर्षों में ऊर्जा का उत्पादन कम हुआ था, जो आवश्यकता है, जितने मेगावाट की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हुई थी। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि 1986-87 में जहां बिहार स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 3,965 मिलियन यूनिट्स जेनरेट किया था, 1987-88 में 4,083 मिलियन यूनिट्स जेनरेट किया और 1988-89 में 4,500 मिलियन यूनिट्स जेनरेट किया है ।

श्री रघुनाथ झा : आवश्यकता क्या है ?

श्री जयकुमार पालित : 1988-89 में, जो चालू वर्ष है इसमें आवश्यकता 9000 मिलियन यूनिट्स की है और हम मार्च तक 4500 मिलियन यूनिट्स पैदा कर लेंगे ।

श्री रघुनाथ झा : भारत सरकार के उद्योग मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि बिहार में बिजली का उत्पादन नहीं है इसलिये कोई नया उद्योग वहां नहीं लगा सकेंगे ।

श्री जयकुमार पालित : कब कहे थे ?

श्री रघुनाथ झा : लास्ट इयर ।

सभापति : आसन को जहां तक जानकारी है बाद में इसका कन्ट्राडिक्शन दिये हैं ।

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, ऊर्जा के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है और हमें पूरी आशा है कि बिहार स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस तरह ट्रांसफ़र्मर की आपूर्ति में सचेष्ट है, गाँवों में भेजने का प्रयास कर रहा है उसी तरह से जेनरेशन चाहे पतरातू में हो, चाहे कांटी में हो, बढ़ेगा और हमारी आवश्यकता पूरी होगी । सभापति महोदय, एक-दो मुद्दे पर और मैं कुछ कहना चाहता हूँ । सहकारिता के संबंध में चंद बातें मैं कहना चाहता हूँ। 1980-81 से लेकर, जब से मैं इस सदन का सदस्य हूँ, सहकारिता की गूंज होती रही है । सहकारिता के नवरत्न बिहार के वायुमंडल में सदैव चमकते रहें । वे अपनी रोशनी से नहीं चमकते थे, बल्कि किसानों को जो पंपिंग सेट दिया जाता है, किसानों को जो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है वह उन नवरत्नों के घर में चला जाता था और उसी से वे चमकते रहते थे । आज वर्तमान मुख्यमंत्री ने को-ऑपरेटिव आर्डिनेन्स करके उस पर अंकुश लगाया है और सही ढंग से, जनतांत्रिक तरीके से इस ओर कदम उठाया है । उसका सर्वत्र स्वागत होने लगता है लेकिन कुछ निहित स्वार्थ के लोगों ने उसका विरोध किया । हम बधाई देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि बावजूद सारे विरोध के वे अपने निर्णय पर अडिग रहे । सभापति महोदय, अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, विशेष रूप से इसलिये कि वे सरकार के मुख्य हैं और विशेष करके महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूँ, जिसका प्रस्ताव सभापति महोदय आपने लाया

है और जिसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ, फिर से धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यशैली बिहार में आई है, जो नये ढंग का माहौल पैदा हुआ है, उसमें सारे लोग सहयोग करेंगे ।

और जो निहित स्वार्थ के कारण मिलकर अंदर से और बाहर से प्रहार कर रहे हैं, उसका हम सबको मिलकर, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विरोध पक्ष के लोग हों, सभी मिलकर ऐसे ऐभिल डिजाइंस को चकनाचूर करें, तभी जाकर हम जनता के हित की बात, इस राज्य के हित की बात कर सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य श्री भोला सिंह के द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति : माननीय सदस्य, राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री भोला सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा उपस्थित किये जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्राप्त हुए हैं । इसमें पहला संशोधन माननीय सदस्य श्री लालू प्रसाद जी का है, दूसरा श्री जनार्दन यादव, तीसरा श्री रघुनाथ झा, चौथा श्री रमेंद्र कुमार, पाँचवा श्री सूरज मंडल जी का है । मैं एक-एक करके संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना संशोधन का प्रस्ताव उपस्थापित कर दें । इसको पढ़ा हुआ माना जायगा ।

माननीय सदस्य श्री लालू प्रसाद, आप संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री भोला सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा उपस्थापित किये जाने वाले प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाय :

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
(1)	श्री लालू प्रसाद :	"किंतु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है— (1) कि राज्य में राजनीति हत्याएँ, दिन दहाड़े डकैतियां, बसों एवं ट्रेनों में लूट—पाट, महिलाओं के साथ राहजनी एवं बलात्कार, आदिवासी, हरिजन तथा समाज के कमजोर तबके के ऊपर बढ़ते हुए लगातार अत्याचार और आतंक के साथ हत्यायें, असामाजिक तत्वों और सत्ता संरक्षण के अंतर्गत पुलिस मेल से अपहरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने में यह सरकार बिलकुल असफल रही है । परिणामस्वरूप राज्य का जनजीवन अस्त—व्यस्त है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है; (2) कि सिर से पैर तक रिश्वत और भ्रष्टाचार में सराबोर वर्तमान चकबंदी प्रोग्राम को बंद कर तथा इस कानून को संशोधित कर कारगर ढंग से भ्रष्टाचार उन्मूलन चकबंदी कार्यक्रम को लागू करने, खेतों की फसलों को लाभकारी मूल्य देने एवं फसल बीमा योजना लागू करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है।

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री लालू प्रसाद :	(3) कि खेती लायक जमीन के लिये पानी की व्यवस्था न करने, सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में चल रहे भयंकर भ्रष्टाचार एवं लूट को खत्म न करने, सोन, कोशी, गंडक, बागमती, बडुआ, चानन, कोयल, अधवारा समूह आदि योजनाओं को पूर्ण उपयोगी एवं लाभकारी बनाने का उपाय नहीं करने, खेती की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि कार्यों के लिये बिजली आपूर्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता न देने, खराब राजकीय नलकूपों को चालू नहीं कराने, खेती के लिये खाद, बीज, दवा आदि को उचित मूल्य पर समय पर मुहय्या नहीं कराने और सबसे बढ़कर जो जमीन को जोते, बोए सो जमीन का मालिक होवे, ऐसे नारे को साकार नहीं बनाने से किसानों में हाहाकर मचा हुआ है । कृषिप्रधान राज्य की कृषि व्यवस्था संकटग्रस्त हो गयी है और बिहार भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा प्रदेश बन गया है । (4) कि सरकार सूर्य के प्रकाश की तरह तथा वायु की तरह शिक्षा को

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री लालू प्रसाद :	निःशुल्क नहीं बना सकी है । इसके अलावे विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पूरी पढ़ाई और समय पर परीक्षा व्यवस्थित नहीं होने पर बिहार के छात्रों का नामांकन दूसरे प्रदेश के प्रसिद्ध संस्थानों में नहीं हो पाता है ।
		(5) कि शर्तों की पूर्ति कर चुके प्रस्तावित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को स्वीकृति नहीं प्रदान करने, संबद्ध इन्टर तथा स्नातक महाविद्यालयों को अंगीभूत घोषित कर उनमें कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पिछले दस वर्ष से जी रहे त्रास से उन्मूलन नहीं कराने, विश्वविद्यालय शिक्षकों से अगस्त 86 में हुए करार को कार्यान्वयन न करने, नये वेतनमान को लागू नहीं करने, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता वापस नहीं करने, विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव नहीं कराने, राज्य के मरणासन्न पुस्तकालय आंदोलन को पुनर्जीवित करने हेतु अबतक पुस्तकालय अधिनियम को लागू नहीं करने, विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों के लिए

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री लालू प्रसाद :	रोजगार की व्यवस्था नहीं कराने से शैक्षणिक जगत के शिक्षक एवं शिक्षार्थियों में काफी असंतोष, आक्रोश व्याप्त हो रहा है । फलनस्वरूप संपूर्ण शैक्षणिक माहौल अराजक एवं दिशाविहीन हो गया है;
		(6) कि सभी बंद मिलों को चालू करने, बिहार स्थित प्राईवेट औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा खनिज प्रतिष्ठानों के मुख्यालय बिहार में कायम करने तथा बिहार के ईख उत्पादकों को हरियाणा राज्य की तरह ईख का उचित मूल्य देने में यह सरकार विफल रही है;
		(7) कि 21 सितंबर, 88 के भयंकर भूकंप से राज्य के 18 जिलों के प्रभावित लोगों को राहत देने, मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि देने तथा भूकंप से क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने के लिए अबतक सरकार से कोई अनुदान नहीं दिया गया है, फलस्वरूप गृहविहीन लोग इस शीतलहरी में भी खुले आसमान में रह रहे हैं;
		(8) कि सरकार सामाजिक समता, सामाजिक न्याय एवं प्रत्येक व्यक्ति

क्र॰	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री लालू प्रसाद :	के अधिकार एवं व्यक्तित्व को गरिमा देने में पूर्णत: असफल रही है, जिस कारण गांव-गांव में सामाजिक तनाव एवं झगड़ा है; (9) कि हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के लिए 60 प्रतिशत एवं ऊंची जाति के गरीबों तथा महिलाओं के लिए क्रमश: 4 प्रतिशत अर्थात कुल 68 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने में सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है; (10) कि छोटानागपुर एवं संथाल परगना के पिछड़ेपन को दूर करने, आदिवासियों की भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति की रक्षा करने, जंगलों को बचाने, विस्थापितों को बसाने एवं इस क्षेत्र के खेतों में पानी पहुँचाने में सरकार का अभी तक कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया है, जिस कारण इस क्षेत्र के लोगों में अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है; एवं (11) कि मुख्यमंत्री के घोषणानुसार अभी तक विधानमंडल परिसर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा नहीं लग सकी है ।

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
(2)	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाय— परंतु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है— (1) कि सरकार राज्य में जनतांत्रिक मूल्यों के अनुसार जनता को जीवनावश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने में पूर्ण असमर्थ रही है; (2) कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार प्रशासनिक कदाचार एवं भाई भतीजावाद को समाप्त करने में सरकार असमर्थ रही है; (3) कि सरकार दिनानुदिन बिगड़ती विधि व्यवस्था, लूट, हत्या, बलात्कार, राजनीति हत्या, महिलाओं एवं कमजोर लोगों पर हो रहे अत्याचार, सामूहिक बलात्कार को रोकने में पूर्णतः असमर्थ रही है; (4) कि वित्तीय वर्ष 1986-87, 87-88 एवं 88-89 में योजनाओं के स्वीकृत उद्व्यय शतप्रतिशत खर्च नहीं हो पाये हैं, फलतः अपेक्षित विकास नहीं हुआ है; (5) कि विगत तीन वित्तीय वर्षों में आंतरिक संसाधनों से अधिप्राप्ति

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	अपेक्षानुकूल नहीं हुई है फलतः निवेश में कमी आई है तो दूसरी ओर अकर्मण्यता एवं अक्षमता के कारण अरबों रुपये व्ययगत हुए; (6) कि राज्य की संपूर्ण कृषियोग्य भूमि को अभी तक सिंचाई गारंटी प्राप्त नहीं हुई तथा भूमि परीक्षा एवं कृषि बीमा योजना लागू नहीं हो पायी; (7) कि राज्य की लंबित सिंचाई योजनाओं को समय सीमा के अधीन निर्धारित प्राक्कलन के अनुसार नहीं पूरा कराया जा सका है तथा सिंचाई योजनाओं जैसे पुनासी, बेलासी, ओड़नी करमचट में व्याप्त भ्रष्टाचार में किंचित कमी नहीं आयी है; (8) कि राज्य के 50% लघु एवं सीमांत कृषकों को भी प्रामाणिक बीज, खाद, कृषि ऋण, प्रशिक्षण, कीटनाशक दवाएँ उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं; (9) कि सहकारिता आंदोलन में व्याप्त अपादमस्तक भ्रष्टाचार, लूट, माफियाशाही के कारण जनता का विश्वास उठ गया है, फलतः सहकारिता लूट और शोषण का पर्याय बन गयी है । बिस्कोमान, भूमि विकास बैंक,

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	सहकारिता अधिकोष के माध्यम से वित्त प्रदायी संस्थाओं की पूंजी निवेश के नाम पर ऊपर ही ऊपर लूट ली गई है; (10) कि ग्रामीण सड़क, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन नियोजन कार्यक्रम के तहत निर्धारित मापदंड के अभाव में समानता एवं आवश्यकता के आधार पर पथों का निर्माण नहीं हो पाया है; (11) कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं एवं भ्रष्ट अफसरशाही का चारागाह बन गया है । अपेक्षित प्रगति का कागजी दावा से वास्तविकता का कोई संबंध नहीं है; (12) कि जल संसाधन विकास एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों में सरकार पूर्णतः असफल रही है । योजनागत परिव्यय का सर्वाधिक अंश व्यय करने के बावजूद भी अभी तक 10 वर्षों से अधिक चली आ रही योजनायें पूरी नहीं हुई तथा योजनाओं के प्राक्कलन

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	में अबाध वृद्धि हुई है । जल जमाव तथा बाढ़ से कटाव को रोकने में पूर्णतः असफलता मिली है । बालू की भीत के समान तटबंध बाढ़ के प्रथम दबाव में बह जाते हैं । सर्वाधिक व्यय संरक्षण एवं स्थापना मद में किया जाता है; (13) कि अकेले बिहार में देश के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का 56 प्रतिशत क्षेत्र आता है पर केंद्रीय सहायता नहीं के बराबर है; (14) कि घोषणा के बावजूद सरकार बिहार फेमिन कोड में राज्य में आनेवाली बाढ़, सुखाड़ और दुर्भिक्ष को ध्यान में रखकर आवश्यक संशोधन नहीं कर सकी है; (15) कि क्षेत्रफल उद्योग और जनसंख्या को ध्यान में रखकर बिजली उत्पादन क्षेत्र में सरकार राष्ट्रीय औसत को भी प्राप्त करने में प्रयासरत नहीं रही है । आणविक ऊर्जा, पनबिजली, निजी बिजली उत्पादन में भी सरकार पूर्णतः अक्षम रही है; (16) कि निरंतर बढ़ते विद्युत पर्षद् के घाटे को पाटने और लक्ष्य के

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	मुताबिक आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति में पर्षद् पूर्णतः असमर्थ रहा है; (17) कि सरकार भू-हदबंदी, शहरी भू-हदबंदी एवं अधिशेष भूमि के वितरण एवं स्वामित्व हस्तांतरण के प्रति उदासीन रही है तथा चकबंदी भ्रष्टाचार के गाल में समा गया है। अभी तक राज्य के एक भी गांव में चकबंदी सफल नहीं हुई, दूसरी ओर हजारों विवाद लंबित हैं; (18) कि वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का आंकड़ा सत्य से कोसों दूर है। न तो वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये प्रयास हुआ और न ही राष्ट्रीयकरण के बावजूद अवैध लीजों पर रोक लगी; (19) कि वनवासियों को वनोत्पादों पर आधारित कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, ठेकों एवं लीजों का शत-प्रतिशत अधिकार दिया जाय; (20) कि बांका चांदन नदी पर पुल, बगहा छितौनी रेलपुल, पटना में

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	रेलपुल का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जायेगा;
		(21) कि राज्य के सभी बंद, मृत, रुग्ण औद्योगिक इकाईयों, लघु उद्योगों को चालू वित्तीय वर्ष में पुनर्जीवित किया जाय। निवेश को बचत का समानुपाती बनाया जाय;
		(22) कर संग्रह में भ्रष्टाचार, त्रुटिपूर्ण कराधान, करों के वसूलीकरण में विलंब, कर ढांचे को व्यावहारिक बनाने में असफलता, कर संग्रह में लक्ष्य की अधिप्राप्ति में ह्रास के प्रति सरकार उदासीन रही है;
		(23) चीनी मिलों के आधुनिक्रीकरण, नियोजन एवं कमांड क्षेत्र के किसानों का गन्ना विकास सहाय्य में सरकार उदासीन रही है। साथ ही केन सेश का विनियोजन वांछित उद्देश्य में नहीं हुआ है;
		(24) कि सरकार विगत हड़ताल में सरकारी कर्मचारियों के साथ हुए समझौते का कार्यान्वयन अभी तक ईमानदारी पूर्वक नहीं करा पाई है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	(25) कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कार्यरत बिहारी मजदूरों की सुरक्षा का सही इंतजाम नहीं हो पाया है; (26) कि आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के आसमान छूते मूल्य पर नियंत्रण में सरकार विफल रही है; (27) कि किसानों को कृषि उपजों का वैज्ञानिक एवं लागत के आधार पर मूल्य नहीं दिया जा रहा है; (28) कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी सरकार नहीं दे पायेगी; (29) कि शिक्षा में नीचे से ऊपर तक माफिया साम्राज्य है । तकनीकी शिक्षा का व्यापार हो रहा है तथा प्रशिक्षण की डिग्रियां सत्ताधारी दलालों के कारखानों में बंट रही है । उच्च शिक्षा अराजकता का पर्याय बन गया है । विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े हैं । आपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कागजी योजनायें हैं जिनकी धनराशि का बंदर बांट हो रहा है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	(30) कि शिक्षकों के 50 हजार से ऊपर रिक्त पदों को भरने में सरकार अक्षम है; (31) निजी प्राथमिक विद्यालयों, निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों पर प्रतिबंध लगाने में सरकार अक्षम रही है; (32) कि राज्य में लक्ष्य के मुताबिक राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखकर सभी को समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं हो पायी । कालाजार, मस्तिष्क ज्वर, हैजा, घेघा, पीलिया नियंत्रण अप्रभावी रहा । सभी रेफरल अस्पतालों, 6 बेड के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं हो पाई है; (33) कि मूल्यानुसार रॉयल्टी (खनिज) से संबद्ध उद्योगों की स्थापनी, खनिज शेष का विकास में विनियोजन की कोई व्यवस्था नहीं है; (34) कि नगर विकास के लिये मास्टर प्लान के आधार पर अभी नवीकरण की दूरदृष्टि का अभाव है; (35) कि राज्य में सरकारी धन

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री जनार्दन यादव, स० वि० स०	के लूट को रोकने में प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है; (36) कि कालबद्ध प्रगति और जिम्मेवारी निरुपित कार्य के लिये ठोस कदम नहीं उठाया गया है; (37) कि सत्ताधारी दल के विभिन्न मूर्धन्य घटकों के पारस्परिक सत्ता विवाद से राज्य में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी है, परिणामत: प्रशासनिक स्तर पर अराजकता, लालफीताशाही व्याप्त है; (38) कि राज्य में गंभीर बाढ़, सुखाड़, भूकंप को देखते हुए सरकार अविलंब कृषि एवं राजस्व ऋण माफ करने का विचार रखती है; (39) कि सरकार 20 से 30 प्रतिशत प्रशासनिक तथा 30 प्रतिशत आकस्मिकता व्यय में कमी लायेगी तथा इस राशि का विनियोजन गरीबों का स्तर सुधारने में करेगी; (40) कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत तक पहुँचाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है; एवं (41) बंटाईदारी पर मालिकाना हक दिलाने में सरकार अक्षम है।

क्र० प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
(3) श्री रघुनाथ झा, स० वि० स०	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ– किंतु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है– (1) कि राज्य में राजनीतिक उथल–पुथल इस प्रकार से बनाया गया है कि राज्य की प्रगति कम हो गई है; (2) कि पुलिस मुठभेड़ की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जा रही है तथा साधारण जनता पुलिस भय का शिकार बन रही है; (3) कि प्रांत में हो रहे लूट, डकैती, हत्या, चोरी, राहजनी, ट्रेन डकैती एवं शील हरण आदि की रोकथाम तथा स्थायी निदान के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है; (4) कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, भाई भतीजावाद के रोकथाम के निदान की चर्चा नहीं है; (5) कि कृषकों, कृषक मजदूरों की समस्याओं एवं कृषि उपज को लाभकर बनाने तथा बंधुआ मजदूरों

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रघुनाथ झा, स० वि० स०	की उन्नति के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है, (6) कि आकाश छूती हुई भीषण महंगाई की रोकथाम के कार्यक्रम का जिक्र नहीं है; (7) कि हरिजन, कमजोर एवं अन्य पिछड़े तथा गरीबों के उत्थान की योजना का उल्लेख नहीं है,; (8) 20 सूत्री कार्यक्रम (ग्रामीण विकास) गरीबों के उत्थान के नाम पर एक धोखा है; (9) कि राज्य की सभी कृषि योग्य भूमि सुनिश्चित सिंचाई को उपलब्ध कराने में सरकार बिल्कुल ही असफल रही है; (10) कि राज्य में विद्युत उत्पादन में काफी ह्रास हो गया है जिससे कृषि एवं उद्योग को ठीक से बिजली नहीं मिल पाती है, जिससे कृषि तथा उद्योग के उत्पादन में काफी ह्रास हो गया है, (11) यह कि अल्पमत की हुकूमत बनी हुई है । यह जनतंत्र पर घोर कुठाराघातं है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रघुनाथ झा, स० वि० स०	(12) यह कि विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । भागलपुर के पापरी बोस कांड में कांग्रेस के अधिकारियों का हाथ है जिसका उल्लेख नहीं किया गया;
		(13) यह कि राज्य में हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, राहजनी में पिछले वर्षों से अपार वृद्धि हुई है जिसकी चर्चा नहीं की गई है;
		(14) यह कि शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में अराजक स्थिति एवं अनियमितता बनी हुई है । आजतक राज्य में 10+2+3 की शिक्षा को विश्वविद्यालय कमीशनण के निदेश के बावजूद इंटरमीडियट शिक्षा को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है;
		(15) यह कि मदरसा, संस्कृत एवं मैथिली शिक्षा एवं शिक्षकों एवं राज्य के हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है;
		(16) यह कि आजतक राज्य के विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता लौटाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रघुनाथ झा, स० वि० स०	(17) यह कि शारीरिक प्रशिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण के नाम पर सैकड़ों संस्थान चल रहे हैं और करोड़ों रुपये सत्ताधारियों के जेब में जा रहे हैं, इसका उल्लेख नहीं किया गया है;
		(18) यह कि राज्य में गत अगस्त माह में आये भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में असफलता के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है;
		(19) यह कि उत्तर बिहार के लोगों को बाढ़ से स्थायी समाधान निकालने का कोई जिक्र राज्यपाल ने अपने भाषण में नहीं किया है;
		(20) यह कि राज्य में सिंचाई सुविधा बढ़ाने, बाढ़ से राहत पहुंचाने, जल जमाव से त्राण दिलाने के संबंध में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है;
		(21) कि राज्य सरकार के निकम्मापन के कारण सोन आधुनिकीकरण योजना, बागमती सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजना, मसान सिंचाई योजना, नलकूप लगाने संबंधी योजना आज तक खटाई में पड़े हुए हैं जिसका उल्लेख नहीं किया गया है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रघुनाथ झा, स० वि० स०	(22) कि नेपाल से भारत में आनेवाली बिहार की नदियों के संबंध में केंद्र सरकार से नेपाल सरकार से स्थाई समाधान ढूँढने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है; (23) विद्युत् उत्पादन बढ़ाने का कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है; (24) कि बेरोजगारी मिटाने या बेरोजगारों को काम दिलाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है; (25) कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार का वर्षों से किये जा रहे शोषण जैसे—खनिज संपदाओं के रॉयल्टी का संबंध कीमत के साथ नहीं जोड़ना, राज्य के अंदर बड़े बड़े निजी एवं सरकारी प्रतिष्ठानों का मुख्यालय राज्य के अंदर नहीं लाने, बैंकों में बिहार वासियों द्वारा जमा बचत के पैसे का अनुपात के अनुसार उपयोग नहीं करने, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सप्तम वर्षीय योजना तक बिहारवासियों की उपेक्षा करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है; (26) कि कृषि के क्षेत्र में सरकार के विफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रघुनाथ झा, स० वि० स०	(27) कि एन.आर.ई.पी., आर. एल.ई.जी.पी., आई.आर.डी.प्री. योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार लूट खसोट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;
		(28) कि पशुधन के विकास के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है;
		(29) कि स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, परिवार कल्याण कार्यक्रम की असफलता का कोई जिक्र नहीं है;
		(30) कि वर्ष 1986-87 के भयंकर बाढ़ में उत्तर बिहार के पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण संगठन विभाग के क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों के आजतक नहीं बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है;
		(31) कि सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर, मीनापुर, शिवहर, शिवहर- सीतामढ़ी, सीतामढ़ी-सुरसन भीठामोड़, सीतामढ़ी-परिहार बेला, सीतामढ़ी-सोनवरसा, कुशमारी-वसंतपट्टी, ससौला- कटैया एवं बेलाघाट के पथ निर्माण विभाग के सड़कों एवं पुलों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है;
		(32) कि राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी आंदोलन के अग्रदूत

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रघुनाथ झा, स० वि० स०	गरीबों के रहनुमा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के आदमकद प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगाने एवं उनके सरकारी निवास को कर्पूरी ठाकुर के लिए स्मारक बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
(4)	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायँ— परंतु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है— (1) कि सरकार राज्य में बढ़ते हुए बलात्कार, अपहरण, लूट, हत्या, सामंती-पुलिस अत्याचार को रोकने में विफल रही है; (2) कि पापरी बोस राय अपहरण कांड के अपराधियों को सख्त सजा देने तथा भागलपुर के डी.एम. और एस.पी. के विरुद्ध कार्रवाई करने में सरकार विफल रही है; (3) कि कोल्हुआ-पैगंबरपुर बलात्कार कांड के दोषी पुलिसकर्मियों और मुजफ्फरपुर के डी.आई.जी. के

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	विरुद्ध कार्रवाई करने में सरकार विफल रही है; (4) कि घटुआ गोलीकांड की न्यायिक जांच कराने एवं दोषी पुलिस एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार विफल रही है; (5) कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है तथा अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है; (6) कि भू-हदबंदी के अतिरिक्त भूमि-स्वामियों के कब्जे से निकालकर वितरित करने एवं वितरित जमीन पर पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने में सरकार विफल रही है; (7) कि सरकार जनतांत्रिक तौर-तरीकों एवं मूल्यों को गहरा धक्का पहुँचा रही है; (8) कि सरकार विधान सभा के सत्र का समय कम कर नादिरशाही तरीके से सरकार चलाने के ढंग को प्रोत्साहन दे रही है; (9) कि सारा राज्य ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा है; (10) कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने तथा महंगाई को बढ़ाने में सफलता प्राप्त क

क्र॰	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स॰ वि॰ स॰	है और आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में विफल रही है; (11) कि सरकार खेत मजदूरों एवं असंगठित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की दर भुगतान कराने के बदले मालिकों का साथ दे रही है; (12) कि सरकार बंद कारखानों को खुलवाने में असफल रही है; (13) कि माइका खदानों की बंदी के चलते हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसे रोकने में सरकार विफल रही है; (14) कि वर्ष 83-84 के घोषणा के बावजूद सरकार ने सहरसा, कोशी एवं हजारीबाग में नये विश्वविद्यालयों की अभी तक स्थापना नहीं की है; (15) कि राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण नहीं की है; (16) कि राज्य के सभी गाँवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अभी तक नहीं की है; (17) कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में चार उच्च विद्यालयों की स्थापना नहीं की है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	(18) कि नई शिक्षा–नीति को लागू कर गरीबों एवं कमज़ोर वर्ग के लिए ऊँची शिक्षा हासिल करने पर रोक लगा रही है; (19) कि बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई ठोस योजना सरकार के पास नहीं है; (20) कि राज्य में व्याप्त और बिजली संकट को दूर करने में सरकार बिल्कुल असफल साबित हुई है; (21) कि सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ खिलवाड़ कर रही है; (22) कि हजारीबाग जिलान्तर्गत टंडवा प्रखंड में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना करने की योजना के लिए ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है; (23) कि राज्य सरकार बिहार राज्य विद्युत पर्षद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं फिजूलखर्ची को रोकने के बदले उसे बढ़ावा दे रही है; (24) कि राज्य में औद्योगिक विकास करने के उद्देश्य से अभी तक हजारीबाग, राँची और पलामू स्थित उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र को केंद्र

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	के द्वारा विकसित कराने में असफल रही है;
		(25) कि राज्य के अंदर सभी बंद कोयला खदानों को चालू करने में अभी तक असफल रही है;
		(26) कि राज्य के अंदर, खास तौर से छोटानागपुर, संथालपरगना के विभिन्न परियोजनाओं में अर्जित भूमि का मुआवजा, विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास तथा उन्हें रोजगार देने में सरकार विफल रही है;
		(27) कि राज्य सरकार वनों की अवैध कटाई रोकने में असफल रही है तथा अवैध कटाई के नाम पर आदिवासियों, हरिजनों एवं कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार को बढ़ावा दे रही है तथा जंगल संबंधी आदिवासियों, हरिजनों एवं कमजोर वर्गों पर चल रहे लाखों मुकदमों को अभी तक वापस नहीं ली है;
		(28) कि अभी तक किसी भी सिंचाई योजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया है;
		(29) कि राज्य सरकार सिंचाई का प्रबंध करने में विफल रही है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	(30) कि सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने में असफल रही है और राज्य के अंदर हजारों चापाकल बेकार पड़े हुए हैं;
		(31) कि राज्य सरकार प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने में अभी तक विफल रही है;
		(32) कि राज्य के अंदर प्रायः सभी राज्य पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ एवं अन्य पथों की स्थिति दयनीय है तथा गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम बिल्कुल खटाई में है;
		(33) कि सरकार अभी तक ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने में असफल रही है;
		(34) कि किसानों को उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य दिलाने में विफल रही है;
		(35) कि सरकारी उपक्रमों की स्थिति सुधारने में सरकार विफल रही है;
		(36) कि दुमका और हजारीबाग को रेल लाईन से जोड़ने के प्रयास में सरकार पूर्णतः विफल रही है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	(37) कि सरकार बाढ़ तथा सूखे स्थायी समाधान तथा विद्युत संकट दूर करने के लिए बहुद्देशीय योजनाओं को केंद्रीय सरकार से स्वीकृत कराकर लागू करने में पूर्णतः विफल रही है;
		(38) कि दुर्गावती जलाशय परियोजना (करमचट बांध) को अभी तक पूरा नहीं किया है;
		(39) कि गांवों में रोजगार नहीं मिलने से लाखों खेत मजदूरों को हर वर्ष दूसरे राज्यों में भागने को मजबूर होना पड़ता है;
		(40) कि सरकार द्वारा छोटानागपुर और संथाल परगना से प्राप्त राजस्व का बड़ा भाग उस क्षेत्र के विकास में खर्च नहीं कर इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान नहीं कर बेइंसाफी है;
		(41) कि सरकार आदिवासियों की भाषा एवं संस्कृति की रक्षा करने में विफल रही है;
		(42) कि सरकार महाजनों द्वारा आदिवासियों की छीनी गई जमीन को वापस दिलाने में विफल रही है;
		(43) कि सरकार छोटानागपुर, संथालपरगना विकास प्राधिकारों और

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	राज्य के ऐसे अन्य प्राधिकारों का जनतांत्रिक पुनर्गठन करने में विफल रही है; (44) कि चतुर्थ तथा तृतीय वर्ग में नियुक्तियों के संबंध में सरकार अपनी घोषित नीतियों को लागू करने में विफल रही है तथा छोटानागपुर एवं संथाल परगना में सरकारी सेवाओं की नियुक्तियों में भारी गोलमाल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रही है; (45) कि सरकार नियुक्तियों में आरक्षण नीति लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं रखती है; (46) कि वर्ष, 88 में भीषण भूकंप के कारण मरे व्यक्तियों के परिवारों को तथा घायल व्यक्तियों को समुचित सहायता देने एवं क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण करने में सरकार बिल्कुल विफल रही है; (47) कि सरकार शिक्षक कर्मचारियों के साथ केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सवालों पर वर्ष 88 में किये समझौतों के कार्यान्वयन करने में आना-कानी कर रही है;

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री रमेन्द्र कुमार, स० वि० स०	(48) कि सरकार ने पूरे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना दिया है; (49) कि सरकार राज्य के विकास में बाधक है ।
(5)	श्री सूरज मंडल, स० वि० स०	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें— परंतु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है— (1) कि स.प्र. छोटानागपुर में कोयला खदानों द्वारा अधिग्रहण करने वाले जमीनों में विस्थापित को नौकरी देने का प्रावधान था जो भारत सरकारने समाप्त कर दिया है पुनः लागू किया जाय; (2) कि गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखण्ड के परसपानी में नवोदय विद्यालय खोलने हेतु जमीन अर्जित करने के बाद हिंदुस्तान कंशट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा कार्य आरंभ किया जा चुका था उसे बिहार सरकार द्वारा परसपानी से हटाकर मदगामा ई.सी. एल. के जमीन पर ले जाने के गलत आदेश को रद्द कर पुनः परसपानी में

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री सूरज मंडल, स० वि० स०	नवोदय विद्यालय भवन बनाने का आदेश दिया जाय; (3) कि पथरगामा के निवासी भगवान साह के घर डकैती एवं श्री भगवान साह के हत्या के अभियुक्त श्री अशोक सिंह को शीघ्र गिरफ्तार किया जाय एवं मृतक के परिवारों को झूठे मुकदमा में दारोगा अशोक सिंह द्वारा फंसाने वाले को मुकदमा से मुक्त किया जाय; (4) कि राजमहल परियोजना ललमटिया से कोयला ढोने हेतु रेलवे लाईन निर्माण में नेशनल थर्मल पावर (एन.टी.पी.सी.) द्वारा अधिग्रहण करने वाले जमीनों में शीघ्र विस्थापितों को नौकरी देने की व्यवस्था की जाय; (5) कि 1980 से अब तक राज्यपाल की अध्यक्षता वाली विधायकों की सलाहकार परिषद् की बैठक अब तक नहीं बुलाने की चर्चा नहीं की गई है; (6) कि सं.प्र. प्रमंडल में प्रस्तावित महाविद्यालयों एवं उच्च विद्यालय को संबंधन नहीं दिया जा रहा है । इस भेदभाव की नीति अपनाई जा रही

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री सूरज मंडल, स० वि० स०	है । उसे शीघ्र संबंध करने का आश्वासन दिया जाय । 1988 में सरकार ने विधान– परिषद में आश्वासन दिया था; (7) कि संथालपरगना तथा छोटानागपुर के विभिन्न अंचलों में बसने वाली खेतौरी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में सरकार आवश्यक जांच कराकर अनुशंसा भारत सरकार को भेजेगी लेकिन अबतक भारत सरकार को अनुशंसा नहीं भेजी गई है । उक्त जाति के विकास अवरुद्ध को देखते हुए शीघ्र अनुशंसा भारत सरकार को भेजने का आदेश प्रदान किया जाय; (8) कि संथाल परगना प्रमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की व्यवस्था की जाय; (9) कि संथाल परगना में मैक्फरसन और गंजर सेटलमेट में गरीब आदिवासी की हस्तांतरित जमीन को कानून बनाकर वापस कराने की व्यवस्था की जाय; (10) कि विधि व्यवस्था को निम्नतम स्थिति, राजनीतिक हत्यायें,

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री सूरज मंडल, स० वि० स०	दिन-दहाड़े डकैती, लूट-मार, कमजोर वर्गों विशेषकर आदिवासी हरिजन पर अत्याचार को बंद कराने की व्यवस्था पर शीघ्र अमल किया जाय;
		(11) कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में सरकार की पूर्ण विफलता;
		(12) कि कांग्रेस मंत्रिमंडल की अक्षमता एवं निष्क्रियता पर कार्रवाई;
		(13) कि सरकारी पदाधिकारी को प्रोन्नति एवं पदस्थापन में व्यापक पक्षपात एवं जात-पात की भावना की जाती है उसे समाप्त किया जाय;
		(14) कि प्रशासन में भेद-भाव पूर्ण एवं व्यक्तिगत प्रबंधकारी नीति;
		(15) कि विद्युत् उत्पादन में निरंतर ह्रास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना में विफलता का सुधार किया जाय;
		(16) कि शिक्षा प्रसार के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को स्थापित करने के संबंध में सरकार की जन विरोधी नीति को वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है;
		(17) कि संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुसार हरिजन आदिवासी

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री सूरज मंडल, स० वि० स०	के संरक्षण के प्रतिपालन में सरकार की असफलता का जिक्र नहीं है तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सरकार द्वारा लिए निर्णय को लागू करने में सरकार की असफलता का कोई जिक्र नहीं है;
		(18) कि काका कालेकर आयोग, मुंगेरी लाल आयोग, हमीद् कमीशन, सीसीर कुमार आयोग तथा बी.पी. मंडल आयोग द्वारा किये सिफारिशों को लागू करने में सरकार पूर्ण असफल रही है और सरकार द्वारा विपरीत कार्य किया जा रहा है;
		(19) कि आए दिन होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या को रोकने का एवं मुजरिम को सजा देने में सरकार की असफलता का कोई जिक्र नहीं है;
		(20) कि विभिन्न काला कानूनों को बनाकर सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं को फंसाने, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने एवं प्रजातंत्र का गला घोंटने जैसे सरकारी कारनामों का कोई जिक्र नहीं है;
		(21) कि गोड्डा जिला के रामगढ़ से गोड्डा भाया देवदाड़ (पौडेगाहाट)

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री सूरज मंडल, स० वि० स०	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन का 33 किमी. पथ पर 1980 से कालीकरण नहीं किया जा रहा है । स.प्र. स्वशासी प्राधिकारों को शीघ्र आदेश दिया जाय कि 31 मार्च 89 तक उसे वह पूरा करा दें;
		(22) कि गोड्डा जिला एवं दुमका जिला के जिला योजना द्वारा 1986–87 एवं 87–88 के स्वीकृत योजनाओं का कार्य आरंभ कर 31 मार्च 1989 तक पूरा करने का आदेश दिया जाय;
		(23) कि मिहिजाम जनजातीय महाविद्यालय का संबंधन 1983 से इंटरमीडियट कौंसिल के द्वारा नहीं दिया जा रहा है जबकि सभी शर्त्तों को महाविद्यालय पूरा करती है, कौंसिल को शीघ्र संबंर्धन हेतु आदेश दिया जाय;
		(24) गोड्डा जिला के डाडे और मोहानी के बीच चोर नदी पर पुलिया बनाने की मांग का सरकार द्वारा निर्णय करने का आदेश दिया जाय;
		(25) कि स्वर्णरेखा परियोजना के लिए आदिवासियों एवं कमजोर

क्र०	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
	श्री सूरज मंडल, स० वि० स०	तबके के लोगों की जमीन जो अधिग्रहण की गई, उसका उचित मुआवजा देने में सरकार विफल रही; (26) कि बीस–सूत्री कार्यक्रम मात्र प्रचार का साधन बनकर रह गया है तथा इस कार्यक्रम के अधीन कोई भी कार्य धरातल पर नहीं किया जा रहा है । प्रभारी मंत्री जिले के सक्रिय राजनीति में मशगूल हैं, तथा ईमानदार पदाधिकारयों को ब्लैकमेल किया जा रहा है; (27) कि स.प्र. एवं छोटानागपुर के विकास के लिए कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है; (28) कि उपयोजना जो कि जन जाति के उत्थान के लिए योजना है, के संबंध में कोई निर्दिष्ट स्थिति की चर्चा नहीं की गई है; (29) कि आर्थिक नियोजन, सामाजिक सुलभ न्याय, निष्पक्ष प्रशासन एवं बेकारों को काम के अभाव में समाज के विभिन्न समूहों में तनाव बढ़ रहे हैं, अपराध वृत्ति पनप रही है और शांति व्यवस्था खतरे में पड़ गई है ।

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, 25 जनवरी को इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण को बिहार सरकार द्वारा तैयार किया गया हुआ पॉलिसी भाषण था, उनके द्वारा पढ़ा गया ।

सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री लालू प्रसाद जी कांग्रेस के बाद सबसे बड़े विरोधी दल के नेता हैं और उनका भाषण हो रहा है । इसलिये आप लोग शांति से सुनें ।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय का जब अभिभाषण हो रहा था, हम लोग उसे साफ साफ सुन नहीं पाये थे । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति जो वितरित हुई है, उसका थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया है । सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब माननीय सदस्य श्री भोला सिंह बोल रहे थे—भोला बाबू के विषय में यह कोई नई बात नहीं है—चाहे राज्य का सत्यानाश हो जाये, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के विकास की दिशा को चाहे तोड़ डाला जाय, भोला बाबू ऐसे माननीय सदस्य हैं कि जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी तरफदारी करते रहे हैं, मौका परस्त बने रहे हैं ।

सभापति महोदय, मुझे एक बात याद आ गयी है, एक कहानी याद आ गयी है उनके विषय में जो मैं कहना चाहता हूँ । मैं जब भोला बाबू को देखता हूँ, बेचारा भोला बाबू ....

सभापति (श्री भोला सिंह) : इस सदन में कोई माननीय सदस्य बेचारा नहीं है ।

श्री लालू प्रसाद यादव : सभापति जी, तो ठीक है बेचारा शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय । तो मैं कह रहा था कि एक जंगल में एक काला साँढ़, जिसको बहुत बड़ा घेंघा था । वह उसी घेंघा को लटकाये जंगल में घूमता था । और उसके पीछे-पीछे सियार जो यह समझता था कि यह लाल जैसा कोई खाने वाला चीज है, वह जब गिरेगा तो उसको ले लेंगे । कुछ दिनों के बाद साँढ़ समझा कि बेचारा सियार हमारे पीछे लगा हुआ है । तो साँढ़ ने कहा कि इस घेंघा से कुछ उम्मीद मत करो, यह झूलता है बारहों महीना । यही हालत है भोला बाबू की, चाहे आप मुख्यमंत्री की जितनी तारीफ कीजिये, तारीफ कीजिये ये भागवत झा आजाद जी की लेकिन आप उम्मीद नहीं रखे कि आपको कुछ मिलनेवाला है । ये मुख्यमंत्री बिहार के नहीं हैं, ये तो राजीव गांधी के मुख्य संतरी हैं । आपने देखा होगा कि इन्होंने जो पूरक बजट सदन में लाया है, पास कराने के लिये । आप सबों को पता होगा कि विगत दस महीनों में जब ये 16 सौ करोड़ में आपका 9 सौ करोड़ भी खर्च नहीं हो सका तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 31 मार्च के लिये जो आपने माँग सदन में साढ़े सात सौ करोड़ का रखा है, उसको आप खर्च कर पायेंगे ? मैं जानना चाहता हूँ कि 31 मार्च के समय तक, अभी जो कांग्रेस का अंदरुनी झगड़ा है, कांग्रेस के अंदर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, उससे पता नहीं चलता कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है । पदाधिकारी आपका आदेश नहीं मान रहा है । मंत्री को भी आपसे अविश्वास हो गया है । हमलोग मानते हैं कि आप जो राशि मांग रहे हैं, मुमकिन नहीं है कि आप इतने पैसे को खर्च कर पायेंगे । यदि आपको सदन अनुमति दे

भी दे तो यह सात सौ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पायेंगे । इस रुपये का बंदर बांट हो जायेगा । बंदरबांट हो जायेगा, पदाधिकारियों में, ठेकेदारों में और अभियंताओं के बीच में । यह सभी बंदरबांट कर लेंगे । हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी विकास की योजना लगाया है, किया है । आप अपने से ही खेत के संबंध में अपना तारीफ किया जिसमें अपने अपने उपलब्धि की बात कही है ।

सभापति (श्री भोला सिंह) : माननीय सदस्य आप राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पर बोल रहे हैं या बजट के संबंध में ?

श्री लालू प्रसाद यादव : सभापति जी मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में बोल रहा हूँ । मुख्यमंत्री ने जो भाषण किया और माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया उसमें भी सरकार की ही नीति का वर्णन है, सरकारी पालिसी का वर्णन है । राज्यपाल जी ने जो आपके द्वारा तैयार भाषण पढ़ा है, जिसमें जनतांत्रिक प्रणाली की तारीफ की गई है, बिहार सरकार की हुकूमत और बिहार सरकार की प्रगति के संबंध में कहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस के विधायक चुनकर सदन में आये हैं, जनता के सामने जो वादा किया । क्या उन्हीं जनतांत्रिक प्रणाली से ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो दिल्ली से भेजे गये मुख्यमंत्री हैं । इस तरह से आपने बिहार में जनतंत्र की हत्या की है । इस बात का जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहीं नहीं किया है । मैं कहना चाहता हूँ कि जनतंत्र का जो बुनियादी सवाल है जो बापू जी का सपना है उस दिशा में आपने कोई काम नहीं किया है ।

आपने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या खेती की है, उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की स्थिति है । अगर मुख्यमंत्री जी बिहार में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या का अध्ययन करते । बिहार में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । इस साल बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी जिससे काफी क्षति हुई । हजारों मकान ध्वस्त हो गये । तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि इस भाषण में और मुख्यमंत्री के भाषण में और जो अन्य खर्च मांगा है, उसका जिक्र कहीं नहीं किया है । हजारों लोगों का घर गिर गया, लेकिन एक पैसा नहीं मिला, नया मकान नहीं बना । इसी साल उत्तर बिहार में भयंकर भूकंप आया । तीन जिले बर्बाद हुए । मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिलों की बर्बादी हुई । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि भूकंप में हमने बहुत काम किया है । मैं मुंगेर और दरभंगा गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री देवीलाल के साथ । हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भूकंप की गंभीरता को देखते हुए पांच लाख रुपये भेजने का काम किया था । वहां मदरसा टूटा हुआ था । इनके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी बिहार में आए भयंकर भूकंप का अध्ययन करने के लिए हेलीकॉप्टर से आए थे । इनके प्रधानमंत्री इतने ज्ञानी हैं कि उन्होंने इस भयंकर भूकंप को मामूली घटना बताया और उन्होंने कहा कि कोई खास चिंता का विषय नहीं है । सभापति महोदय, बिहारवासियों को भूकंप और बाढ़ से जो क्षति हुई है, उसमें मदद पहुंचाने में बिहार सरकार असफल रही है । इन्होंने कहा है कि वर्ष

1989–90 के लिए 140 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। मैं झा जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार की आबादी कितनी है ? बिहारी की आबादी लगभग 8 करोड़ है । आपने खाद्यान्न का जिक्र किया है, लेकिन तेलहन और दलहन का जिक्र नहीं किया है कि कितना लक्ष्य है और अगले वर्ष में हमारा इतना टन पैदा होगा । आप 127 को 140 से गुणा कर दीजिए और जनसंख्या से भाग दे दीजिए । तो प्रत्येक व्यक्ति को 400 ग्राम खाना मिलेगा । यही आपकी उपलब्धि है । आपने बिहार को लुटवाने का काम किया है । आपको वोट लेने के लिए चुनाव में होस संभालना चाहिए, आपको सतर्क होना चाहिए ।

आपने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि हम इतना दलहन पैदा करेंगे । मुझे पता है कि आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है क्योंकि आप डायबिटीज के पैसेंट हैं । आप तेल खाना पसंद नहीं करते हैं । आप चाहते हैं कि दाल लोगों को कम मिले क्योंकि दाल से प्रोटीन मिलता है । यहां के लोगों को दाल नहीं मिलता है। वे चोखा, चटनी पर काम चलाते हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने वादाखिलाफी किया है । सबसे ज्यादा कृषि पर आपको ध्यान देना चाहिए । कृषि के उत्पादन में बाधक प्रलयंकारी बाढ़ है जिससे उत्तर बिहार प्रभावित रहता है । वहां कृषि पिछड़ जाती है । कृषि पर जो बोझ है, उसपर ध्यान देना चाहिए । हमारे स्वर्गीय नेता श्री कर्पूरी ठाकुर ने इसी सदन में आपकी सरकार से, श्री बिंदेश्वरी दूबे से यह मांग किया था कि आप समस्या का समाधान नेपाल और भारत सरकार के बीच वार्ता कराकर कीजिए ताकि उत्तर बिहार में जो बाढ़ आती है और

उससे जो बर्बादी होती है, उसे रोकने का उपाय करना चाहिए। यहां माननीय मंत्री श्री लहटन चौधरी बैठे हैं। उनको मालूम है कि तटबंध के रक्षा के नाम पर करोड़ों-करोड़ रुपया सिंचाई विभाग में लूट हो रही है। पिपरासी, कोशी और अधवारा के नाम पर ये लूट रहे हैं।

उसी तरह से इधर जो दक्षिण में पठार क्षेत्र हैं, खान क्षेत्र हैं उसमें भी लूट हो रही है। अब मैं ग्रामीण विकास की बात करना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्री सदन में बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर सड़क के लिए जो राशि सदस्यों को दी जाती थी जिससे सड़क का काम होता था वह काम एकदम बंद है। कहीं सड़क नहीं बन पा रही है।

सभापति जी, मेरे पास एक पत्रिका है। पालित जी अभी अभी मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे। भागवत झा आजाद जी जब इस सूबे में मुख्यमंत्री बनकर आए तो इन्होंने कहा कि इनके पहले सारे के सारे मुख्यमंत्री निकम्मे थे।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री लालू प्रसाद : अभी पूरे बिहार में बहुमत आपके खिलाफ है। कांग्रेस के बहुमत आपके खिलाफ में है। आज पहली बार कांग्रेसी विधायकों ने हिम्मत किया है और राजीव गांधी टीम के खिलाफ, केंद्रीय टीम के खिलाफ चुनौती दी है और जनतंत्र का सहारा लिया है और नेता बदलने का काम किया है। उससे आपकी जान निकल रही है। आजाद जी, आपका आज बयान आ रहा है कि कोऑपरेटिव माफिया, बिस्कोमान माफिया हमको हटाना चाहते हैं, हमारे पीछे लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मूर्ख मत बनाइये बिहार की जनता

को, गुमराह नहीं करिये इस सदन को--आखिर वह कौन है आपकी नजर में ? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री की जिनकी बड़ी आप दुहाई देते हैं क्या उन्होंने उनको पार्टी से निकाला है, उनको पार्टी से सस्पेंड किया है । आपने ऐसा नहीं किया है । आप बेवकूफ बनाते हैं बिहार की जनता को । आज आपके राज्य में विकास का ह्रास हुआ है, विधि व्यवस्था में खराबी आयी है । विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । आज ये सारी चीजों को डायभर्ट कर रहे हैं । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । इसमें निर्दलीय लोग भी थे । क्या आपके नेता ने उनपर कुछ किया, उल्टे उन्हें कांग्रेस पार्टी में भर्ती कर रहे हैं और इधर आप बयान दे रहे हैं कि कोऑपरेटिव माफियाओं और बिस्कोमान माफिया को हम समाप्त कर रहे हैं । केवल आपने ढोल पीटने का काम किया है । शिक्षा मंत्री श्री नागेन्द्र झा जी अभी सदन में नहीं हैं । इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे । आज गांव में गरीबों के बच्चे को पढ़ने के लिए, गांव के लोगों ने अपनी जमीन और मकान देकर स्कूल खोला है और जिनको आपने वित्तरहित माना है उनके बारे में आपने ऐलान किया था जिसको आपने पूरा नहीं किया है । आपने ऐलान किया था कि नया विद्यालय नहीं खोलने देंगे । टेक्नीकल महाविद्यालय नहीं खोलने देंगे । शिक्षा मंत्री जी अभी नहीं हैं । मधुबनी और दरभंगा में इस शिक्षा मंत्री का नाम है । पत्र-पत्रिका देश में छप रही है जिससे शर्म से हमलोगों का माथा झुक जाता है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वे शिक्षा माफिया के नाम से जाने जाते हैं । इतना ही नहीं टेक्नीकल कॉलेज की परीक्षा के लिए वर्ष 86, 87 एवं 88 के लिए काफी पैसा लेकर परीक्षा की

अनुमति दी गयी है । मिथिलांचल में यह धंधा चल रहा है । झा जी आप परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन आज बिहार में जाली मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं । मेरे पास माया पत्रिका है जिसमें जाली मेडिकल कॉलेज की ऐडमिशन नोटिस छपी है जिसमें लिखा है–

"Applications are invited for illegible candidates for admission for first years MBBS Course for academic course 1987-88. Prospectus and applications forms can be had from the office on payment of ...."

कटिहार मेडिकल कॉलेज मायनरिटीज के नाम पर है, लेकिन कॉलेज वहां नहीं है । ऐडमिशन लीजिये पटना में लेकिन कॉलेज का कहीं पता नहीं है और एक एक लड़का को बुला बुला कर डेढ़ डेढ़ लाख रुपया ऐडमिशन के नाम पर मांगा जा रहा है । इसमें आपकी पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी के एम.एल.ए. हैं । माया में ये सारी बातें छपी हैं ।

सभापति : शांति, शांति । माननीय सदस्य श्री लालू प्रसाद जी, आप उनका नाम नहीं लें, पार्टी का नाम नहीं लें ।

श्री लालू प्रसाद : इसकी ओर इनका ध्यान नहीं गया है । शिक्षा में लूट हो रही है । इनकी सरकार द्वारा जो कार्य किये गये हैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, किताब निःशुल्क देने के लिये यह क्या बिहार में किसी को मिल रहा है । आपने इंडस्ट्रीज की बात कही है, हरिजनों एवं आदिवासियों के स्तर उठाने की बात कही है । महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण

में कहा है, हरिजनों, आदिवासियों को कानूनी, आर्थिक सहायता दी जायेगी, लेकिन किसी अनुसूचित जाति को, किसी अनुसूचित जनजाति का स्तर आप उठाना चाहते हैं तो क्यों जो चमार हैं उनको आप जूता सीने का और जूता में पोलिश करने का काम देते हैं, जो पासवान हैं उनको सूअर पालने का काम देते हैं, जो दर्जी हैं उनको कपड़ा सीने का काम देते हैं । इस तरह करके आप देश की राजनीति पर, देश के प्रशासन पर बड़े लोगों का कब्जा बनाये रखना चाहते हैं और आपने उसी को ध्यान में रखकर टमटम हांकनेवालों को घोड़ा दिया है, गाय-भैंस पालनेवालों को गाय और भैंस दिया और उसमें से सारी की सारी भैंसें मर गयीं, सारे घोड़े मर गये और इस तरह टमटम टूट गया और वे बेरोजगार कमजोर के कमजोर बने रहे ।

मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को आपने एक आदमी के हाथ से छीनकर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया । आप जानते हैं यूपी सरकार ने ऐलान किया कि हम ईख की कीमत प्रति क्विंटन 30 रुपया देंगे और आप जानते हैं हरियाणा में जो हमारी सरकार बनी है उसने ऐलान किया कि हम 35 रुपये प्रति क्विंटल ईख की कीमत देंगे। पूरे बजट का 25 प्रतिशत आपके प्रशासन पर खर्चा होता है लेकिन बिहार के ईख की कीमत आपने ज्यों का त्यों छोड़ दिया।

सभापति : माननीय सदस्य हरियाणा की ईख में रवा का प्रतिशत क्या है और बिहार की ईख में रवा क्या है आप बता दीजिये ।

श्री लालू यादव : सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं श्री भागवत झा आजाद की कमजोरी को जानता हूँ कि वे केंद्र

के सामने घुटना टेक कर, गेड़ूर मारकर बैठे हुए हैं कि श्री राजीव गांधी जी हमारी रक्षा करें, रक्षा करें । डॉ. शिवचंद्र झा चले गए लेकिन उन्होंने केंद्र से कभी आंख नहीं मिलाया, घुटना नहीं टेका ।

सभापति : शांति, शांति, माननीय सदस्य डॉ. शिवचंद्र झा इस सदन के सदस्य हैं, उनका नाम आपने क्यों लिया ? उनका नाम कार्यवाही में नहीं रहेगा ।

श्री लालू प्रसाद : अच्छा नहीं रहेगा । आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिहार को जो पर कैपिटा एसिस्टेंस दिया और दूसरे राज्यों को दिया उससे बहुत कम दिया । मैं सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार को प्रति कैपिटा मिले एसिस्टेंस को रखता हूँ । आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिहार को 14 दिया तो दूसरे राज्यों को 24 दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां बिहार को 19 दिया वहां दूसरे राज्यों को 26 दिया और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जहां बिहार को 44 दिया वहां दूसरे राज्यों को 55 दिया और इस तरह तीनों पंचवर्षीय योजना को मिलाकर आपने पर कैपिटा एसिस्टेंस बिहार को जहां 19 दिया वहां दूसरे राज्यों को 36 दिया ।

फोर्थ एनुअल प्लान में बिहार को पर कैपिटा असिस्टेंस जहां 58 रुपया दिया गया वहां दूसरे राज्य को 142 रुपया दिया गया । फिफ्थ एनुअल प्लान में बिहार को जहां 114 रुपया मिला वहां दूसरे राज्य को 365 रुपया मिला, सिक्स्थ एनुअल प्लान में बिहार को जहां 224 रुपया मिला वहां दूसरे राज्यों को 872 रुपया मिला । सेवंथ एनुअल प्लान में बिहार को जहां 327 रुपया मिला वहां दूसरे राज्यों को 1224 रुपया मिला ।

"The lower investment in Bihar has very seriously affected the power generation programme, irrigation and agricultural programmes and has kept the level of transport, communication and basic social services at a low level. This in turn has hampered economic development."

तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह जो ढोल पीट रहे हैं कि दो सौ करोड़ पहले से ज्यादा लाये हैं—जिस तरह से बिहार पिछड़ा है हर क्षेत्र में, यह पीछे से फर्स्ट है। बिहार यदि हिम्मत कस कर झटका नहीं देता है और काफी मदद लेकर इनभेस्ट नहीं करता है तो बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ जायेगा।

उद्योग समूह जो डालमिया का है, कटिहार का जो जूट मिल है, समस्तीपुर का जो चीनी मिल है, ये सभी समाप्त हो गये हैं, उद्योग मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे टोपी लगाकर बैठे हुए हैं, पता नहीं चलता है कि इधर हैं या उधर (विक्षुब्ध गुट में) हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बिहार पीछे जा रहा है कांग्रेस के राज्य में, मैं विरोध करते हुए बिहारवासियों से मांग करता हूँ कि बिहार की जनता इस सरकार को जबर्दस्त झटका दे, नहीं माने तो पटका दे और गर्दनिया देकर इस सरकार को हटाना और पराजित करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मानिक चंद राय : सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, विपक्ष के नेता श्री लालू प्रसाद बहुत ही गला फाड़ कर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इन्होंने कोशिश नहीं किया है कि विपक्ष के नेता की हैसियत से सदन में सही-सही बातों को बोलेगें, बल्कि इन्होंने जो कुछ कहा है सच्चाई को छिपा कर और सच्चाई को छिपाकर पहले का जो बोलने का तौर-तरीका है, उसी पर आज भी बोल रहे हैं ।

सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री ने गरीब राज्य के उत्थान और उन्नति के लिये जो संसाधन का प्रबंध किया है और लगता है कि इनको एक साल और पहले से मौका मिलता इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने का तो हमारा राज्य बहुत आगे गया होता, खासकर के विकास के काम में । जो 40 वर्षो से एक लकीर बना हुआ था जो भी मुख्यमंत्री होते थे उसी पिछली लकीर पर, पुराने रास्ते पर वे चलते थे ।

लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक नया लकीर खींचा है । दुनिया जानती है कि नये लकीर पर, नये रास्ते पर चलने का जो हिम्मत करता है, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । आप घबड़ाये हुए हैं । आप घबड़ाये हुए हैं इनकी प्रगति को देखकर कि ये उन प्रगतियों को जमीन पर, गांवों से शहरों तक लेना चाहते हैं । आप इसको देखकर घबड़ाये हुए हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूँ पिछले चालीस वर्षो से जो हमारे कानून बने थे भूमि को बांटने के लिये, गरीब और हरिजनों के बीच में आदिवासियों के बीच में बिना जमीन वालों के बीच में बांटने के लिये और आप लाल झंडा लेकर गरीबों को बहकाने का काम करते थे, आंदोलन करते थे, उसे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है । आपने देखा होगा कि अभी अभी डेढ़ लाख एकड़ जमीन का

बंटवारा किया गया है, वह मात्र कागज पर नहीं, बल्कि सारे जमीन पर किया गया है । जमीन का बंटवारा करके यह साबित कर दिया है कि किसान और जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो हरिजन और आदिवासी हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दी गयी है और उनका कब्जा करा दिया गया है कि यही तुम्हारी जमीन है । इस तरह जो आप जमीन की बेदखली को लेकर उनको बहकाने का काम करते थे, प्रदर्शन करवाने का काम करते थे, उन सबों को हमारे मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम लाकर समाप्त कर दिया है । अब आप किस आधार पर प्रदर्शन और मीटिंग करेंगे ।

आपने देखा होगा कि हरिजनों की कोऑपरेटिव बनाई गई, भूमि विकास बैंक का निर्माण किया गया, बिस्कोमान का निर्माण किया गया, वह किसलिए किया गया, वह किसानों को खाद और उन्नत बीज के मुहैया कराने के लिये किया गया । ट्रैक्टर और पंपिग सेट मुहैया कराने के लिए किया गया, लेकिन आप देख रहे थे कि इसको कुछ स्वार्थी लोग के हाथ में यह बेकाम हो रहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने उन कोआपरेटिवों को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहे हैं । उसके उद्देश्यों की पूर्ति कैसे हो, इसका प्रबंध कर वे किसानों को, उन गरीब लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं । उन तमाम लोगों को जो कोलियरी में कोलियरी कोऑपरेटिव बनाकर मजदूरों को लूट रहे हैं, उन माफिया को लाठी से खदेड़कर भगा रहे हैं । वहां जो क्रिमिनल और माफिया थे, उनका सफाया कर रहे हैं । यही कारण है कि इनके विरुद्ध ऐसे माफिया लोग लग गये हैं । हमारे मुख्यमंत्री ने सभापति जी, जो इस तरह का प्रगति का कदम

उठाया है, उसके लिये ये घबड़ाये हुए हैं । हमारे मुख्यमंत्री ने सत्ता के दलाल लोगों के सफाये के लिए जो कदम उठाया है, उससे लोग घबड़ाये हुए हैं, लेकिन उनके साथ गरीब लोग, चाहे देहात के हों या शहर के हों, समझ रहे हैं कि अब हमारे सहायता के लिये वे आ गये हैं । वे समझ रहे हैं कि ये गरीबों के, हरिजनों के, आदिवासियों के मुख्यमंत्री हैं । इनकी चिंता शहरों से लेकर गांवों की है । अभी तक यहां हो रहा था कि छः रुपये अगर खर्च होते तो गांव तक एक रुपया से ज्यादे का काम नहीं हो पाता था । वह अब सोलहो आने पहुँचनेवाले हैं । हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद जी सरकार को मात्र मट्टे लोग, सफेदपोश लोग ही नहीं चाह रहे हैं । वे मट्टे और सफेदपोश लोग ही जितनें विकास के लिए राशि उपलब्ध होती थी, खा जाया करते थे, उनको रोकने का काम ये कर रहे हैं ।

(इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष महोदय, मैं उन शिक्षा माफिया के बारे में भी आपके माध्यम से सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने उनको समाप्त करने के लिये भी कठोर कदम उठाया है, जिसके चलते जो शिक्षण महाविद्यालय आठ दस हजार रुपये लेकर ट्रेनिंग करवाते थे, वे बंद हो जायेंगे और शिक्षा माफिया का अंत होगा । अब ट्रेनिंग की पहले आवश्यकता नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में आना पड़ेगा और उसके बाद सीधी नियुक्ति होगी और तब उनको सरकारी ट्रेनिंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

लालू बाबू कहते हैं कि गरीबों के बेटा गरीब हरिजन चमार के बेटा को यह सरकार गांवों में ही रखना चाहती है और जिस तरह अंग्रेजों ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसी तरह कांग्रेस सरकार भी नहीं चाहती है कि वह आगे बढ़े, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने उनको गांवों में रोजी रोजगार मिले इसके लिए गांवों में बड़े जोर-शोर से औद्योगिक विकास की ओर कदम उठाया है ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप बतावें कि यह विन्देश्वर पाठक का जो सुलभ शौचालय है, वह किस प्रगति की निशानी है ?

श्री मानिकचंद राय : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं तमाम उदाहरणों को पेश करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

कार्यकारी अध्यक्ष : आज सदन के सामने सात निवेदन हैं, सदन की अनुमति से विभाग में भेज दिये जायेंगे ।

सभा की कार्यवाही कल, मंगलवार दिनांक 31-1-1989 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक : 30 जनवरी 1989

विश्वनाथ त्रिवेदी
सचिव
बिहार विधान-सभा पटना ।

दैनिक निबंध

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

समय : 10.58 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक ।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं अन्य शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय ने आज शहीद दिवस के अवसर पर माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि आज ठीक 11.00 बजे पूर्वाह्न में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा अन्य शहीदों के प्रति दो मिनट तक मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

सभी माननीय सदस्यों ने दो मिनट तक मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की ।

शून्यकाल की चर्चा :

(क) सोन नहरी क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना ।

स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएँ :

सर्वश्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, अजीत चंद्र सरकार, नलिनी रंजन सिंह एवं रमई राम, विनायक प्रसाद यादव, रमेन्द्र कुमार, मुंशी लाल राय तथा वशिष्ठ नारायण सिंह सभासदों को 7 (सात) स्थगन । प्रस्ताव की सूचनाओं को अध्यक्ष महोदय ने नियमानुसार मान्य घोषित किया परंतु अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार उनमें से सर्वश्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं अजीत चन्द्र सरकार ने भागलपुर के पापरी कांड तथा रमई राम ने मुजफ्फरपुर जिले के ग्राम भकरी-पकोही में राइफलधारी सिपाहियों द्वारा एक नौजवान की हत्या करने के संबंध में चर्चा की और विषय की गंभीरता पर

सदन का ध्यान आकृष्ट किया । श्री विनायक प्रसाद यादव तथा श्री रवीन्द्र कुमार सभा-सदस्यों ने भी उक्त पापरी कांड की गंभीरता पर बल दिया । श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ने समस्तीपुर जिलान्तर्गत पूसा प्रखण्ड के हापुर-पूसा के निवासी श्री राम राय की हत्या तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने का उल्लेख किया ।

अध्यक्षीय घोषणा :

अध्यक्ष महोदय ने सदन में घोषणा की कि पापरी बोस कांड के संबंध में सदन की भावना को मद्दे नजर रखते हुए इस पर मंगलवार दिनांक 31 जनवरी, 1989 को 4.00 बजे अपराह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक सभा नियमावली के नियम 43 के अंतर्गत विशेष वाद-विवाद होगा ।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन :

प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सदस्य श्री नवल किशोर शाही ने समिति का 122वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया ।

अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उनपर सरकारी वक्तव्य :

आज की कार्य-सूची में यथानिर्दिष्ट श्री रघुनाथ झा एवं अन्य तीन सभासदों तथा श्री भोला सिंह एवं अन्य तीन सदस्यों की दो अलग अलग ध्यानाकर्षण सूचनाओं को दिनांक 31 जनवरी, 1989 के लिए स्थगित किया गया ।

वित्तीय कार्य : वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक का उपस्थापन :

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद ने वित्तीय वर्ष 1989-90 का आय-व्ययक सदन के समक्ष उपस्थापित किया तथा तत्संबंधीर अपना भाषण पढ़ा ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद :

महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति उनके अभिभाषण के लिए सभा सदस्य श्री भोला सिंह ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस संबंध में अपना संक्षिप्त भाषण भी दिया । श्री जय कुमार पालित, सदस्य विधान सभा ने इसका समर्थन करते हुए अपना संक्षिप्त भाषण दिया । इस क्रम में निम्नांकित सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये–

(1) श्री लालू यादव,

(2) श्री जनार्दन यादव,

(3) श्री रघुनाथ झा,

(4) श्री रमेन्द्र कुमार तथा

(5) श्री सूरज मंडल ।

तदुपरांत, इस वाद-विवाद में उपर्युक्त प्रस्तावक एवं समर्थक सदस्यों के अतिरिक्त सर्वश्री लालू प्रसाद यादव एवं मानिक चंद राय ने भाग लिया ।

वाद-विवाद जारी रहा ।

अध्यक्षीय नियमन :

क्रमांक 6 में उल्लिखित राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के क्रम में श्री जयकुमार पालित, सदस्य विधान

सभा जब भाषण कर रहे थे, उन्हें बीच में रोककर अध्यक्ष महोदय ने निम्न नियमन दिया—

कतिपय माननीय सदस्यों ने, तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवचन्द्र झा के द्वारा दिनांक 11-8-1987 को जो आदेश दिया गया जिसके द्वारा माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर को बिहार विधान सभा के नेता, विरोधी दल के रूप में मान्यता समाप्त की गयी जिसे 12 अगस्त 1987 के विवरणिका में प्रकाशित की गयी, से संबंधित संविधान एवं नियम के उल्लंघन का प्रश्न उठाया है तथा मुझसे उस संविधान एवं नियम के आलोक में पुनर्विचार के लिए आग्रह किया है । यह उल्लेखनीय है कि स्व. कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने कई पत्रों के माध्यम से तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवचन्द्र झा से उनके द्वारा किये गये नियमन पर पुनर्विचार हेतु आग्रह किया था।

उपर्युक्त विषय पर निर्णय लेने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों को उद्धृत करना आवश्यक है । 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया जो दिनांक 1-3-1985 को प्रभावी हुआ ।

उक्त संविधान संशोधन के पश्चात् नवम् बिहार विधान सभा का गठन हुआ । उसके अनुसार निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सभा अध्यक्ष के आदेश से निर्वाची सदस्यों की दलगत सूची (रजिस्टर) मार्च 1985 में प्रकाशित की गयी जिसके अनुसार लोकदल के सदस्यों की संख्या 46 है । उसके पश्चात् समय-समय पर अध्यक्ष के आदेश से दलगत सूची प्रकाशित की गयी । सभा अध्यक्ष द्वारा विवादास्पद निर्णय के पूर्व अंतिम दलगत सूची जुलाई 1987 में प्रकाशित हुआ जिसमें लोकदल के सदस्यों की संख्या 46 बताई गई है । लोक सभा

द्वारा प्रकाशित "दी जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इन्फॉरमेशन" में भी लोकदल के सदस्यों की संख्या 46 ही बताई गई है । बिहार विधान सभा में लोकदल विधायक दल के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 46 थी जो कि निर्वाचन आयोग के प्रकाशन में भी अंकित है । किशनपुर उप-चुनाव के बाद उक्त दल के सदस्यों की संख्या 47 हो गई । परंतु कोंच उप-चुनाव के हार जाने के फलस्वरूप उक्त दल के सदस्यों की संख्या पुनः 46 रह गई । सभा अध्यक्ष ने सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित विवरणिका संख्या 1699 दिनांक 12.8.1987 में श्री कर्पूरी ठाकुर को विरोधी दल के नेता पद से हटाये जाने के निम्नलिखित 3 कारण बताये हैं—

(1) लोकदल ने बिहार विधान सभा में विधायक दल के रूप में अपनी मान्यता के लिए संवैधानिक कार्रवाई नहीं की है और न उसे औपचारिक रूप से दल के रूप में मान्यता ही मिली है,

(2) मात्र 19 विधायक ही इस दल में हैं जो अपने को लोकदल विधायक दल के रूप में घोषित करते हैं,

(3) दल के नेता ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया है ।

माननीय कर्पूरी ठाकुर ने सभा अध्यक्ष से उन कागजातों की लिखित रूप से माँग की कि उन सारे कागजातों को उपलब्ध करावें जिसके आधार पर उन्होंने (सभा अध्यक्ष ने) उक्त निर्णय लिया है । उनके मृत्यु-पर्यन्त उन सभी अभिलेखों की जिसके आधार पर तत्कालीन सभा अध्यक्ष ने उपर्युक्त विवादास्पद निर्णय लिया था, उपलब्ध नहीं कराया गया । मात्र तत्कालीन विधान सभा सचिव ने अपने पत्रांक 1793 दिनांक 21.8.1987 द्वारा श्री ठाकुर को सूचित किया कि उनका पत्र अध्यक्ष महोदय

के कार्यालय में संबंधित संचिका के साथ भेज दिया गया है, अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरांत तत्काल उन्हें सूचित किया जाएगा ।

सभा सचिवालय में उपलब्ध अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पश्चात् मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ–

(क) तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा श्री कर्पूरी ठाकुर के संबंध में नियमन देने के पूर्व भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन का पालन नहीं किया गया है । यह उल्लेखनीय है कि संविधान के संशोधन के संबंध में निर्णय लेते समय विधायिका के पीठासीन पदाधिकारी का स्वरूप एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकार के रूप में हो जाता है और वैसी स्थिति में न्यायपालिका द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करना पीठासीन पदाधिकारी के लिए अनिवार्य है । उपलब्ध अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि जिन पत्रों पर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा नियमन दिया गया वे तथाकथित आवेदन पत्र संविधान के 52वें संशोधन एवं उनके अंतर्गत बने नियमों के अनुरूप नहीं था क्योंकि नियम 6 के अनुसार यह स्पष्ट है कि कोई भी आवेदन पत्र जो सदस्य द्वारा अध्यक्ष को दिया जाएगा उसके तथ्य का सत्यापन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधिसूचित रीति से किया जाएगा । ऐसा न करने पर नियम 7 के मुताबिक वैसे आवेदन पत्रों को अध्यक्ष रद्द कर देगा । उपर्युक्त बातों से यह भी स्पष्ट है कि तथाकथित पत्र अनुकूल नहीं था ।

(ख) उक्त नियमन देने के पूर्व श्री कर्पूरी ठाकुर को कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया जिसके द्वारा वे अपने पक्ष को रख सकें और इस तरह तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया गया उक्त नियमन नैसर्गिक न्याय का हनन है, साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त

मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत पर निहित है ।

(ग) उक्त नियमन तथ्य से भी परे है क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने दिनांक 4-4-1985 से श्री कर्पूरी ठाकुर को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की एवं बाद में इसकी घोषणा सभा अध्यक्ष द्वारा सदन में भी की गयी । उक्त आधार पर संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना से सचिवालय के पत्रांक 503 दिनांक 4-4-1985 के अनुसार महालेखाकार, बिहार, पटना को अपने पत्रांक 264 दिनांक 19-4-1985 द्वारा यह लिखा कि बिहार विधान-सभा में विपक्ष के सभी दलों की संख्या से श्री कर्पूरी ठाकुर, सदस्य विधान सभा के नेतृत्व वाले दल की संख्या 46 है जो गणपूर्ति के निर्धारित संख्या से अधिक है । 5-4-1985 एवं 11-8-1987 के बीच में ऐसे कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि दलगत सूची में कोई परिवर्तन हुआ । ऐसी परिस्थिति में विवरणिका संख्या 1699 दिनांक 12-8-1987 में यह उल्लेख करना कि मात्र 19 विधायक ही लोकदल के विधायक के रूप में घोषित हैं, तथ्यहीन, आधारहीन एवं भ्रामक है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 11-8-1987 को श्री कर्पूरी ठाकुर को नेता, विरोधी दल से समाप्ति एवं विवरणिका 1699 दिनांक 12 अगस्त 1987 तथ्यों से परे था एवं विधिसम्मत नहीं था । अतः तत्कालीन अध्यक्ष के उक्त निर्णय को मैं अपने एतद् निर्णय द्वारा रद्द घोषित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर अपने मृत्युपर्यन्त अर्थात 17-3-1988 के प्रातःकाल तक बिहार विधान-सभा में विरोधी दल के नेता पद पर बने रहे थे ।

माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्त्व असाधारण था । लोकतंत्र में उनकी अटूट आस्था थी । 1952 से वे लगातार बिहार विधान-सभा के सदस्य थे । इस अवधि में से एक बार उप-मुख्य मंत्री तथा दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं । तत्कालीन अध्यक्ष के विवादास्पद निर्णय से उन्हें गहरा सदमा पहुँचा था ।

अतः मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के 52वें संशोधन (10वीं अनुसूची) के संबंध में विधायिका के पीठासीन पदाधिकारियों के अधिकार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगने की कृपा करें क्योंकि यह एक अति लोक महत्व का विषय है जिसको लेकर कई विधायिकाओं के सामने समस्या उत्पन्न हुई है और भविष्य में भी उपस्थित हो सकती है ।

निवेदन :

अध्यक्ष महोदय ने सदन में सूचना दी कि आज के लिए स्वीकृत 7 निवेदन सभा की सहमति से संबंधित विभागों में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिये जायेंगे ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 एवं 295 के अनुसरण में बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं एस० के० ग्राफिक्स, हवामहल, मुसल्लहपुर, पटना द्वारा मुद्रित।